



Gi GROUP INDIA COMPLIANCE NEWSLETTER

MARCH' 2025 EDITION



Dear Reader,

We are delighted to present the March 2025 edition of our monthly Compliance Newsletter. The newsletter will help you stay updated with the latest regulatory changes, notifications, and amendments.

In this edition of our monthly Compliance Newsletter, we bring you the latest Minimum Wages revisions notifications from the states of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Gujarat, Chandigarh, Tamil Nadu, Telangana, and Central.

Further, we have also appended the notifications and amendments released in the month of March'25. Some of the important announcements made in this newsletter are allowing employer to view only the members present employment details in EPF, exemptions for All ITES and IT establishments under Shops and Establishments Act in Andhra Pradesh and many more.

Read further to know more!

Best Regards,
Gi Group India

[Follow For More Updates](#)



About Gi Group India

Gi Group India is one of the world's leading human capital solutions and services provider, offering services in various domains of talent acquisition and management. The group is active in the fields of Temporary and Permanent Staffing, Site Managed Services, Search & Selection, Domestic & International Recruitment, Recruitment Process Optimization (RPO), Executive Search, and HR Consulting & Training. We have direct and indirect presence and strategic partnerships in about 57 countries across Europe, Asia, America, and Africa. Gi Group has developed strong expertise through its specialist divisions and dedicated local and international teams.

Gi Group has been present in India for the last two decades, helping clients implement highly crucial projects by hiring and managing great talent. In India Gi Group actively works with customers across the country through a network of offices in 10 major cities. We help organizations achieve accelerated growth by helping them acquire the right kind of talent and providing them with a continuum of staffing solutions, from short-term to long-term and incidental to strategic, for organizations of all sizes and across multiple locations.

Our list of clients ranges from global Fortune 500 companies to large Indian Companies and New Economy Startups. We service our customers through a combination of technology and an extremely agile and responsive team of recruiters and process specialists, thus enabling our clients to focus on business performance and productivity. Ranked globally and in India as one of the largest staffing firms by Staffing Industry Analysts, Gi Group is also a global corporate member of the World Employment Confederation (formerly CIETT).

In India, Gi Group is one of the founding members of the Indian Staffing Federation (ISF). Gi Group is also a long-term strategic member of the National HRD Network.

MINIMUM WAGES REVISIONS

The Uttar Pradesh Minimum Wages Revision

The Government of Uttar Pradesh Vide I/135929/2025, has released Notification regarding revision of VDA and minimum wages for various scheduled employment with effect from 01st April 2025. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Uttar Pradesh				
Effective Date: 01/04/2025				
Category: Various including Shops & Commercial Establishment				
Class of Employment	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Day	Total Per Month
Unskilled	5750	5271	424	11021
Semi-skilled	6325	5798	466	12123
Skilled	7085	6495	522	13580

The Bihar Minimum Wages Revision

The Government of Bihar Vide No.5/MW-40-16/2021-L&R-1659, has issued notification regarding revision of minimum rate of wages for scheduled employment with effect from 01st April 2025. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Bihar				
Effective Date: 01/04/2025				
Nature of Employment: 69 Scheduled Employment including Commercial Establishment				
Category	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Day	Total Per Month
Unskilled	10712	312	424	11024
Semi-Skilled	11128	312	440	11440
Skilled	13546	390	536	13936
Highly Skilled	16536	468	654	17004
Supervisory/Clerical	11780	332	466	12112

The Madhya Pradesh Minimum Wages Revision

The Government of Madhya Pradesh vide No.1/11//Inv/5/2024/10255,has issued notification regarding revision of VDA and minimum wages w.e.f 01st April 2025. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Madhya Pradesh			
Effective Date: 01/04/2025			
Category: Shops & Commercial Establishment			
Class of Employment	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Unskilled	9575	2550	12125
Semi-skilled	10571	2550	13121
Skilled	12294	2550	14844
Highly Skilled	13919	2550	16469

The Chhattisgarh Minimum Wages Revision

The Government of Chhattisgarh vide Serial N0.8//New Way/Sh.A/2025/2839, has released Notification regarding revision of minimum wages for various employment with effect from 01st April 2025. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Chhattisgarh				
Effective Date: 01/04/2025				
Category: Various including Shops & Commercial Establishment				
Category	Zone	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Unskilled	A	8320	2856	11176
	B	8060	2856	10916
	C	7800	2856	10656
Semi-Skilled	A	8970	2856	11826
	B	8710	2856	11566
	C	8450	2856	11306
Skilled	A	9750	2856	12606
	B	9490	2856	12346
	C	9230	2856	12086
Highly-Skilled	A	10530	2856	13386
	B	10270	2856	13126
	C	10010	2856	12866

The Gujarat Minimum Wages Revision

The Government of Gujarat vide No. Ref No. L.C-6/T-3/239 to 259/2025, has released notification on revision of minimum wages and special allowance with effect from 01st April 2025. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Gujarat					
Effective Date: 01/04/2025					
Category: Shops & Commercial Establishment					
Class of Employment	Zone	Basic Per Day	VDA Per Day	Total Per Day	Total Per Month
Unskilled	Zone I	452	45.5	497.5	12935
Unskilled	Zone II	441	45.5	486.5	12649
Semi-Skilled	Zone I	462	45.5	507.5	13195
Semi-Skilled	Zone II	452	45.5	497.5	12935
Skilled	Zone I	474	45.5	519.5	13507
Skilled	Zone II	462	45.5	507.5	13195

The Central Minimum Wages Revision

The Ministry of Labour and Employment vide File No.1/6(1)/2025-LS-II, has released order regarding revision of VDA for scheduled employment w.e.f 01st April 2025. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

Central Minimum Wages			
Effective Date: 01/04/2025			
Category: Industrial Workers - Construction or Maintenance of Roads or Runaways or in Building Operations Including Laying Down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and Similar Other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage Pipe Lines			
Category	Zone A	Zone B	Zone C
Unskilled	20930	17524	14066
Semi-Skilled	23218	19760	16432
Skilled	25506	23218	19760
Clerical	25506	23218	19760
Highly Skilled	27690	25506	23218

The Tamil Nadu Minimum Wages Revision

The Government of Tamil Nadu vide No. Z3/5025/2025, has issued revision of minimum wages for various schedules employment with effect from 01st April 2025. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Tamil Nadu								
Effective Date: 01/04/2024								
Category: Shops & Commercial Establishment								
S. No.	Class of Employees (General Categories)	Category	Zone-A			Zone-B		
			Basic	VDA	Total	Basic	VDA	Total
1	Manager, Sales Manager, Field Officer, Development Officer, Office In- Charge	Highly- Skilled	7390	7313	14703	7328	7313	14641
2	Assistant Manager, Accountant, Supervisor, Sales Executive, Purchaser, Store Keeper, Agent, Sales Promotion Employees	Skilled	6880	7313	14193	6815	7313	14128
3	Cashier, Clerk, Typist Cum Clerk, Typist, Stenographer, Salesman, Sales Representative, Auction Bidder, Tradesman, Bill Writer	Semi-Skilled-I	6767	7313	14080	6753	7313	14066
4	Bill Collector, Booking Clerk, Bill Clerk, Godown Keeper, Assistant Salesman, Godown In-Charge, Accounts Asstt, Receptionist, Lineman, Tally Clerk, Security Guard, Weighman, Driver	Semi-Skilled- II	6691	7313	14004	6691	7313	14004
5	Peon, Watchman, Shop Asstt, Helper, Packer, Attender, Delivery Boy, Messenger, Lift Operator, Shop Boy, Water Boy, Sweeper, Gardner, Scavenger	Unskilled	5396	7313	12709	6619	7313	13932

The Telangana Minimum Wages Revision

The Government of Telangana Vide a press note on revision of minimum wages for scheduled employment with effect from 01st April 2025. Please refer to the table below for the revised minimum wages and press note appended herewith for more details:

State: Telangana					
Effective Date: 01/04/2025					
Category: Commercial Establishment					
Class of Employment	Zone	Basic Wages	VDA	Total Per Day	Total Per Month
Manager/ Sales Manager/ Security Officer/ Computer Programme	Zone I	5557	9050	561.79	14606.6
Asst. Manager/ Accountant Supervisor/ Purchaser	Zone I	4722	9050	529.68	13771.6
Salesman/Sales Representative/ Bill Writer/ Cashier/ Tradesman	Zone I	4520	9050	521.91	13569.6
Clerk/ Godown In-charge/ Accounts Assistant/ Typist/ Receptionist/ Lineman/ Stenographer/Clerk-cum-Typist/ Xerox Machine Operator/ Clerks in STD, ISD, FAX/ Asst. Salesman	Zone I	4102	9050	505.83	13151.6
Kolagari/Weighman/Milk Vender in Milk Booths	Zone I	3886	9050	497.52	12935.6
Bicycle Fitter/ Attender/ Peon/ Water Boy/ Shop Boy/ Helper/ Messenger/ Gas Cylinder Carrier	Zone I	3700	9050	490.37	12749.6
Computer Operator	Zone I	3886	9050	497.52	12935.6
Security Guard	Zone I	3700	9050	490.37	12749.6
Type Writing Instructor	Zone I	4520	9050	521.91	13569.6
Manager/ Field Officer/ Development Officer/ Security Officer/ Office In-charge/ Computer Programmer	Zone I	5557	9050	561.79	14606.6
Accountant/ Asst. Manager/ Sales Executive/ Supervisor/ Purchaser/ Store Keeper/ Agent/ Sales Promotion Employees	Zone I	4722	9050	529.68	13771.6
Salesman/ Stenographer/ Receptionist/ Auction Bider/ Tradesman/ Type Writer Instructor	Zone I	4520	9050	521.91	13569.6
Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown In-charge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst. Accountant/ Xerox Machine Operator	Zone I	4102	9050	505.83	13151.6
Weighman/ Kolgari	Zone I	3886	9050	497.52	12935.6
Peon/Attender/ Watchman/ Water Boy/ Helper/ Messenger/ Security Guard	Zone I	3700	9050	490.37	12749.6

NOTIFICATIONS/ CIRCULARS/ AMENDMENTS



Circular on Payment of Past contributions of employees by an employer through DD in EPF

The Employees Provident Fund Organization vide Ref: Compliance/DD/Remittances/M/sLabourNet ServicesIndiaPvtLtd/2025/2209, has released Circular regarding Payment of Past contributions of employees by an employer through Demand Draft. Please refer to the circular appended herewith for more details.

Circular regarding allowing employer to view only the members present employment details in EPF

The Employees Provident Fund Organization vide No. WSU/Memberprofile/E-710137/2024-25/12, has released Circular regarding allowing employer to view only the members present employment details. Please refer to the circular appended herewith for more details.

Notification regarding Implementation of ESI Scheme in entire 15 districts of Uttar Pradesh

The Ministry of Labour and Employment Vide S.O. 1384 (E), has released Notification regarding Implementation of ESI Scheme in entire of 15 districts of Uttar Pradesh. Please refer to the Notification appended herewith for more details.

State wise updated list of notified/non-notified districts under ESIC 2.0

The Employees State Insurance Corporation vide No. N-15015/01/2023-P&D, has released Circular regarding state wise updated list of notified/non-notified districts under ESIC 2.0 vision as on 01st April 2025. Please refer to the circular appended herewith for more details.

Removal of the requirement of employer approval for seeding bank account details with UAN in EPF

The Employees Provident Fund Organization vide No.WSU/IssuesofBKG/E-49885/2024-25/16, has issued Circular regarding removal of uploading of the image of cheque leaf and attested bank passbook and removal of the requirement of employer approval for seeding bank account details with UAN. Please refer to the circular appended herewith for more details.

Exemptions for All ITES and IT establishments under Shops and Establishments Act in Andhra Pradesh

The Government of Andhra Pradesh Vide G.O.Ms.No.7, has released notification on Exemption from the provisions of Section 15,16,21,23,31 and 47(1)(2)(3)(4) of Andhra Pradesh Shops and Establishments Act, 1988 to All IT and ITES establishments with five years of effect from the publication of the notification. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Disclaimer: All information and content contained in this document are provided solely for general information and reference purposes. GI Group India makes no statement, representation, warranty or guarantee as to the accuracy, reliability or timeliness of the information and content contained in this document. Although every possible care and caution has been taken to avoid any mistakes or omissions while editing. Printing, producing online or publishing the judgments, Head Notes, Editorials, Articles, Forms & Precedents, the subscriber or reader should verify the correctness respectively from the full text as in the certified copy of Judgements or Gazettes concerned. Neither GI Group India nor any of its related company accepts any responsibility or liability for any direct or indirect loss or damage (whether in tort, contract or otherwise) which may be suffered or occasioned by any person howsoever arising due to any inaccuracy, omission, misrepresentation or error which may inadvertently crept on despite care and caution in respect of any information and content provided by this document.

Contact Information:

Name- Sushil Shah, Legal and Compliance

Email- marcom.india@gigroup.com, Website: www.gigroup.co.in

Address- World Trade Tower, Tower-B, Unit 503, 5th Floor, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh – 201301

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यूवै) /4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019-931(न्यूवै)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 के औसत अंक 414 पर दिनांक: 1-04-2025 से 30-9-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-414 पर दिनांक: 1-04-2025 से 30-9-2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(414-216)

..... X5750= ₹0-5270.83/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

क्रमिक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रुपये में	दिनांक: 1.10.2025 से 31.3.2025 तक कुल मजदूरी (रुपये में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता ₹0 में दिनांक: 1.04.2025 से 30.9.2025 तक	दिनांक: 1.04.2025 से 30.9.2025 तक कुल मजदूरी (रुपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रुपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10701	5270.83	11020.83	423.87
2	अर्धकुशल	6325	11772	5797.91	12122.91	466.26
3	कुशल	7085	13186	6494.58	13579.11	522.29

2. ईंट मट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

क्रमिक	श्रेणी	दिनांक: 1.04.2025 से 30.9.2025 तक
1	अकुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमिक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा
2	कुशल	
		मूल मजदूरी परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता ₹0 में कुल मजदूरी (रुपये में)
2	पथेरा	₹0-365 ₹0-334.58 रूपया-699.58/- प्रति हजार
	भराईवाला	
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	₹0-110 ₹0-100.83 रूपया-210.83/- प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक	₹0-132 ₹0-121.00 रूपया-253/- प्रति हजार
3	निकासी वाला	₹0-110 ₹0-100.83 रूपया-210.83/- प्रति हजार

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(हायर और ल्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- निष्ठान उद्योग।
- वास्तविक पेय(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
- कलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डैरी और मिश्रक डैरी।
- सिल सिलाये कापड़ों की विनिर्माणशाला।
- बॉथ सटबथ के निर्माण और अनुसंधान, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त राजस्वीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- ठलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शीपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अनियोजन उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- घर्म शोबनशाला और घर्म विनिर्माणशाला।
- घर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सफ़ाई।
- निजी पुस्तकालय।
- कास्ट संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग क्लासों प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
- लम्बावू विनिर्माण।
- घर्मशाला।
- वास्तविक(फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और कास्ट कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।

- 26 दुकानों में
- 27 प्राणिक्य अखिस्टानों में।
- 28 घाघल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 तेल मिल।
- 30 लोक मीटर परियहन।
- 31 यंत्रिक परियहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयर कर्मशाला।
- 33 लकड़ों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संस्थानों।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- 35 छिछन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।
- 37 आइसक्रीम/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और डिस्पूट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्तन विनिर्माणशाला।
- 40 एक्सेलस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लाम्प्री और घुलाई अखिस्टान।
- 42 जिहदसाजी।
- 43 कोलड स्टोरेज।
- 44 पाटरी सिधैनिष्ठ या रिक्कीवर्दीज।
- 45 मिजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
- 50 कलब
- 51 हथकरघा(सिलक की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का पूर्ण या प्रसालन विनिर्माण।
- 53 ऊनी कम्बल बनाने के अखिस्टान
- 54 खाम्बसाजी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति प्रसारित करघा उद्योग।
- 57 छोटा(मिनिअर) बरब एवं कोयला उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईट मट्टा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुखा और सेवा प्रदाता अखिस्टान में नियोजित सुखा कर्मी(सुखा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार सहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
- 63 बुझारने और सफाई में नियोजन, जितमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौभाग्यो का निर्माण(प्रतिशोध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निविद्ध किया-कलम सम्मिलित नहीं है।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एलपीजी(लिकेण्ड) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सीज, आटोरिक्षा/टैम्पो एवं टैक्सीज अखिस्टान में नियोजन।
- 68 कोबिल आपररेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 70 विषय संवर्धन(विषय संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1978 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कटिंग सैलून एवं थ्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलाओं) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेक्टर/आईटी/इन्टरनेट/टेलीकॉमिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रसिद्धान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आस्थादित न हों, में नियोजन।

(मार्कण्डेय शाही)
अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

संख्या 2111-18 उपर्युक्त-(एन० डब्ल्यू०)/15 दिनांक 27/03/2025

- 1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप अम आयुक्त उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अदगत कराये तथा अगिर्णों सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मीने जाने पर उपलब्ध कराए।
- 2 अनुसूचित उत्तर प्रदेश शासन, अम अनुभाग-3, बापू, मयन, लखनऊ।
- 3 सहायक निदेशक, अम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- 4 अधिराष्ट्री निदेशक उद्योग बंधु, लखनऊ।
- 5 उप अम आयुक्त(आई०आर०) मुख्यालय, कानपुर।
- 6 उप अम आयुक्त(कम्प्यूटर) मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप अम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- 7 श्री हिमाशु कुमार, पुस्तकालयपालक, मुख्यालय को अमिलेखार्थ प्रेषित।
- 8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निरुल्लेख प्रकाशनार्थ।

(मार्कण्डेय शाही)
अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना**

पटना, दिनांक—

एस0 ओ0—

दिनांक—

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)

की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई, 24	142.7	4.63 X4.93 X2.88	9380.89
अगस्त, 24	142.6	4.63 X4.93 X2.88	9374.32
सितम्बर, 24	143.3	4.63 X4.93 X2.88	9420.34
अक्टूबर, 24	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
नवम्बर, 24	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
दिसम्बर, 24	143.7	4.63 X4.93 X2.88	9446.63
योग :-56620.62			

वर्ष 2024 के द्वितीय जुलाई, से दिसम्बर, 2024 का औसत- $56620.62 \div 6 = 9436.77$

ETM

Om

अनुसूची-1 (ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.10.2024 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	77 नियोजन- (69 सामान्य कार्य ,विक्रय प्रोत्साहन नियोजन, घरेलु कामगार का नियोजन,चार नियोजन, सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी एवं चीनी उद्योग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कामगार)	अधिसूचना संख्या-(03,04),(01,02)(07,08),(09,10), दिनांक-30.09.2024 गजट सं०-1102,1103,1100,1104 दिनांक-21.11.2024	77- अनुसूचित नियोजन

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेंट प्री-स्ट्रेस्टेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, गील बोर्ड कारगोरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईउड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) विस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्शरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अवरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी

विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) औटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकारिस्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग (70) विक्रय प्रोत्साहन नियोजन (71) घरेलु नियोजन (72) पापड़ उद्योग, (73.) नाविक के नियोजन, (74.) अगरबत्ती उद्योग, (75.) सफाई कर्मचारी के नियोजन (शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीनप्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर) (76) सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कमी (77) चीनी उद्योग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कामगार।

अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक—01.09.2022+01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+01.04.2024+01.10.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक—01.04.2025 से प्रभावी होगी	01.04.2025 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00	12.00	424.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00	12.00	440.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00	15.00	536.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00	18.00	654.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780.00	332.00	12112.00 प्रतिमाह

नोट:—घरेलु नियोजनों में एक घंटा कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर प्रतिदिन की अधिसूचित दर में आठ (8) से भाग देकर प्राप्त किया जायेगा। इसी प्रकार मासिक दर की गणना दैनिक दर में 26 से गुणा कर प्राप्त किया जायेगा।

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की

गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपर्युक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जुलाई-दिसम्बर, 2024** के औसत के आधार पर **01 अप्रैल, 2025** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

टिप्पणी:— (क) न्यूनतम मजदूरी की मासिक दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से भाग देकर तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में परिवर्तन 26 से गुणा करके प्राप्त किया जायेगा।


(ख) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त प्रस्तावित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।

(ग) साप्ताहिक विश्राम के दिन अथवा अन्य किसी दिन समयोपरि (Overtime) कार्य के लिए कामगार बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम-25 में विहित दर से समयोपरि काम का दो गुणा मजदूरी भुगतान पाने का हकदार होगा।

(घ) पुरुष तथा स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-1659)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

पटना, दिनांक—

एस0ओ0


दिनांक—

का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार

राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-1660)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2024	142.7	4.63 X4.93 X2.88	9380.89
August, 2024	142.6	4.63 X4.93 X2.88	9374.32
September, 2024	143.3	4.63 X4.93 X2.88	9420.34
October, 2024	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
November, 2024	144.5	4.63 X4.93 X2.88	9499.22
December, 2024	143.7	4.63 X4.93 X2.88	9446.63
Total			56620.62
Second Half Yearly Average of the year July to December,2024 $56620.62 \div 6 = 9436.77$			

SCHEDULE-I(B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.10.2024	Total
1	2	3	4
1	77 Employment – General Work, Sales promotion, Domestic Workers, Four Employments, Workers employed through outsourcing in government offices and workers employed through outsourcing in sugar industry)	Notification No- —,(03,04),(01,02)(07,08),(09,10) Dated- 30.09.2024 Gazette No.- 1102,1103,1100,1104 Dated- 21.11.2024	77 Scheduled Employment

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre-stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosierys Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refractories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries

(Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology (70) Sales promotion employees (71) Domestic Workers (72) Papad Industry (73) Sailors employment (74) Agarbati Industry (75) Employment of Safaies Karamchairs (Excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act 1993) (76) Workers employed through outsourcing in government offices (77) Workers employed through outsourcing in sugar industry.

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2025 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2025 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00+2.00=412.00	12.00	424.00 Perday
2.	Semi skilled	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00+2.00=428.00	12.00	440.00 Perday
3.	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00+2.00=521.00	15.00	536.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00+2.00=636.00	18.00	654.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00+44.00=11780	332.00	12112.00 Per Month

Note:- The Minimum wage rate for one hour in domestic employment will be obtained by dividing the daily notified rates by 8. Similarly the monthly rate will be calculated by multiplying the daily rate by 26.

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column - 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July - December, 2024** will be payable at the aforesaid rates from **1st April, 2025** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

Note:- (a) The conversion of monthly minimum wages into daily rates shall be obtained by dividing it by 26 and the conversion of daily wage rates into monthly wage rates shall be obtained by multiplying it by 26.

(b) The above proposed rates of minimum wages include remuneration to workers for the day of rest in a period of seven days.


(c) For overtime work on the weekly rest day or on any other day, a workers shall be entitled to be paid twice the wages for overtime work at the rate prescribed in rule 25 of the Bihar Minimum wages Rules, 1951.

(Signature) *(Signature)* *(Signature)*

(d) Male and female workers shall be receive the same rate of wages for the work or similar type of work.

(No-5/M.W.- 40-16/2021 L&R-1659)


By the order of the Governor of Bihar,


(Rajeev Ranjan)
Joint Secretary.

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०-1660 पटना, दिनांक- 28/3/25


प्रतिलिपि :-प्रमारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०-1660 पटना, दिनांक- 28/3/25

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1660 पटना, दिनांक- 28/3/25

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण


विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मी एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


28.3.21
(राजीव रजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 1660 पटना, दिनांक- 28/3/21

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


28.3.21
(राजीव रजन)
संयुक्त सचिव।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्व./पांच/2024/

10255

इन्दौर, दिनांक 28 /मार्च/2025

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दि. 01.04.25 से 30.09.2025 तक पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

संदर्भ - माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/2024, क्रमांक 11921/2024 एवं क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च, 2025 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 1.04.2025 से 30.09.2025 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन दरें।

-0-

मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136 एवं 136(1) से 136(41) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्तामूल्य सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से लागू है।

उल्लेखनीय है कि सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001=100 के आधार पर दिनांक 1.10.2019 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुशल श्रमिक रुपये 1450/- तथा उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक रुपये 1750/- को पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों में जोड़कर श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा न्यूनतम वेतन दरें पुनरीक्षित की गई हैं। अतः सूचकांक 311 के ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार, 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई हैं। माह जुलाई से दिसंबर, 2024 की छः माहों का औसत सूचकांक 413 रहा है, अतः इसके कारण गत छः माहों में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (402) के ऊपर $(413-402) = 11$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक जारी दरें निम्नानुसार रहेंगी:-

अनुसूची - अ (खण्ड-ब)

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	368.27	2550	98.08	12125	466.35	466
अर्द्धकुशल	10571	406.58	2550	98.08	13121	504.66	505
कुशल	12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571
उच्चकुशल	13919	535.35	2550	98.08	16469	633.43	633

अनुसूची -ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से)

(आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	9575	368.27	2550	98.08	12125	466.35	466
पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	10131	389.65	2550	98.08	12681	487.73	488
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571
रोलर्स, मिस्त्री पाइन्टर्स	13653	525.12	2550	98.08	16203	623.20	623
उच्चकुशल	13919	535.35	2550	98.08	16469	633.43	633
कटर्स	14444	555.54	2550	98.08	16994	653.62	654

अनुसूची -स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	9575	368.27	2550	98.08	12125	466.35	466
श्रेणी एक	12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571
श्रेणी दो	10571	406.58	2550	98.08	13121	504.66	505
उच्च कुशल	13919	535.35	2550	98.08	16469	633.43	633
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	13856	532.92	2550	98.08	16406	631.00	631
श्रेणी दो	13473	518.19	2550	98.08	16023	616.27	616
श्रेणी तीन	12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571
श्रेणी दो	10571	406.58	2550	98.08	13121	504.66	505

अनुसूची -द (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसंबर, 2024 छः माहों का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1308 है, इसके पूर्व की छः माहों का औसत 1265 था, जिसके कारण 4.3 औसत बिन्दु की वृद्धि होने से रु.6/- प्रति बिन्दु की दर से मंहगाई भत्ते में रु.258/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :-

(30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	7660	255.33	2268	75.60	9928	330.93	331

अनुसूची -क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	319.17	2550	85.00	12125	404.17	404
अर्धकुशल	10571	352.37	2550	85.00	13121	437.37	437
कुशल	12294	409.80	2550	85.00	14844	494.80	495
उच्चकुशल	13919	463.97	2550	85.00	16469	548.97	549

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6730 (1960=100) के औसत के उपर 2573 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक 01.04.2025 से 31.3.2026 तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - ई (बीड़ी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	106.81	25.73	132.54

नोट - एक हजार बीड़ी बनाने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 132.54 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 11 रुपये 59 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 6 रुपये 63 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि वायद नियोजक का अंशदान 13 रुपये 92 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 164 रुपये 68 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 27.84 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बनाने पर दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि में श्रमिकों से 13 रुपये 92 पैसे एवं नियोजकों से भविष्य निधि कटौती की राशि 13 रुपये 92 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 136 रुपये 84 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के विगत छः माही के औसत सूचकांक 400 के उपर माह जनवरी से जून, 2024 के औसत सूचकांक में 02 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेंगी :-

अनुसूची -एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	44.25	रु. 25.50	रुपये 69.75
(ब) सुगंधित (सैंटेड)	45.00	रु. 25.50	रुपये 70.50

अनुसूची-अ (खण्ड-अ)

03 नवीन अनुसूचित नियोजन (परिशिष्ट-स) में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	4000	153.85	10500	403.85	404
अर्द्धकुशल	7057	271.42	4300	165.38	11357	436.80	437
कुशल	8435	324.42	4300	165.38	12735	489.80	490
उच्चकुशल	9735	374.42	4300	165.38	14035	539.80	540

स्पष्टीकरण -

- 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउंडअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुसार प्रतिदिन रुपये में राउंडअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।
- 2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगरे उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- 3- राज्य शासन द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2024 को जारी एवं म.प्र.असाधारण राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रकाशित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील की गई हैं।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

9/6

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत

दिनांक 01.04.2025 से प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
महँगाई भत्ते की दरें



कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cgic2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे 0 / श्र0आ0 / 2025 / 2839

नवा रायपुर, दिनांक 27.03.2025

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अलरमेलमंगई डी., श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, एतद् द्वारा कृषि नियोजन के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करती हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जनवरी 2024	1258	जुलाई 2024	1290
फरवरी 2024	1258	अगस्त 2024	1297
मार्च 2024	1259	सितम्बर 2024	1304
अप्रैल 2024	1263	अक्टूबर 2024	1315
मई 2024	1269	नवम्बर 2024	1320
जून 2024	1280	दिसम्बर 2024	1320
कुल	$\frac{7587}{6} = 1265$	कुल	$\frac{7846}{6} = 1308$

इनका औसत 1308 घोषित करती हूँ, जो कि अनुसूची- "क" कृषि नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।



(अलरमेलमंगई डी.)

श्रमायुक्त एवं सहाय प्राधिकारी

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cgjc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

**कृषि नियोजन (भाग-दो) में नियोजित श्रमिकों के लिये दिनांक
01.04.2025 से 30.09.2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते
की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप**

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा कृषि नियोजन भाग-दो में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986-87=100) 852 (जनवरी-जून 2016) को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/अ0आ0/2025/2839, दिनांक 27.03.2025 के अनुसार जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1308 रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गत छमाही के अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 1265 (1986-87=100 जनवरी 2024 से जून 2024 के आधार आँकड़े) के ऊपर 43 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई औसत वृद्धि 43 बिन्दु पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 05 रुपये के मान से परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय होगा। परिणामस्वरूप 05 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 215 या प्रतिदिन रुपये 7.17 (30 दिन के मान से) परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक देय है। (अनुसूची-“क”)



(अलरमेलमंगई डी.)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर


अनुसूची-“क”

कृषि में नियोजन (भाग- “दो”)

(दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक)

आंकड़े रुपये में

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक							दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900.00	230.00	2065.00	68.83	8965.00	299	अकुशल कृषि श्रमिक	6900.00	230.00	2280.00	76.00	9180.00	306.00


(अलरमेलमंगई डी.)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।
3. इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
4. कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए लिये निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।



(अलरमेलमंगई डी.)

अमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे 0 / श्र0आ0 / 2025 / 2840 ,

नवा रायपुर, दिनांक 27.03.2025

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अलरमेलमंगई डी. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करती हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)
जनवरी 2024	400.03	जुलाई 2024	411
फरवरी 2024	400.90	अगस्त 2024	411
मार्च 2024	400.03	सितम्बर 2024	413
अप्रैल 2024	401.47	अक्टूबर 2024	416
मई 2024	402.91	नवम्बर 2024	416
जून 2024	407.23	दिसम्बर 2024	414
कुल	$\frac{2412.58}{6} = 402.10$ (402)	कुल	$\frac{2481}{6} = 413.50$

इनका औसत 413.50 घोषित करती हूँ, जो कि परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजन (भाग-एक) के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 में प्रकाशित परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजनों (भाग-एक) परिशिष्ट "अ" के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।

(अलरमेलमंगई डी.)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 द्वारा अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2025/2840, दिनांक 27.03.2025 के अनुसार जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में औद्योगिक श्रमिकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 413.50 रहा है, जिसके कारण गत छमाही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 402.10 (2001=100 जनवरी 2024 से जून 2024 के आधार आँकड़े) के ऊपर (413.50-402.10) 11.40 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 के अनुसार अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 के आंकड़ों के ऊपर प्रति छमाही में हुई औसत वृद्धि पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 20 रुपये के मान से देय होगा। परिणामस्वरूप 20 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 228 या प्रतिदिन रुपये 8.77 (26 दिन के मान से) परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक देय है। (अनुसूची - "ख")

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अलरमेलमंगई डी. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ एतद् द्वारा परिशिष्ट-"अ" के 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों तथा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची- ख एवं "ग" के अनुसार निर्धारित करती हूँ जो दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक देय है।

(अलरमेलमंगई डी.)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट- "अ"

अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग-"एक")

क्र०	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन
02	स्टील प्लांट में नियोजन
03	स्पंज आयरन में नियोजन
04	रोलिंग मिल में नियोजन
05	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
06	सीमेंट फैक्ट्री
07	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
09	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10	पत्थर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11	ईट भट्ठा में नियोजन
12	चूना भट्ठा में नियोजन
13	टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, इलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं हैं, के निर्माण में नियोजन
14	पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सुलेटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान सम्मिलित हैं, में नियोजन
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यों में नियोजन
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18	सिचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन

22	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन
23	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन
24	विक्रय संवर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27	साल्वेट प्लाट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28	किसी तेल मिल में नियोजन
29	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30	हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32	किसी मुरा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन
34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35	किसी आरा मिल में नियोजन/बुड बर्क
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37	पयूल कोक में नियोजन
38	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
39	कोसा उद्योग में नियोजन
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42	बोन मिल में नियोजन
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 "के" परिभाषित की गई, चलाई जाती है, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन

(भाग-दो)

01.	कृषि में नियोजन
-----	-----------------

1. अगरबत्ती उद्योग।
2. किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

परिशिष्ट 'ब' (स्पष्टीकरण)

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :-


“अकुशल कर्मचारी” वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

“अर्द्धकुशल कर्मचारी” वह है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

“कुशल कर्मचारी” वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

“उच्च कुशल कर्मचारी” वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी।
5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।
6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सर्वतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।
8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
9. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कारगरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी। कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं न की विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं के लिये न्यूनतम वेतन की दरें वही होंगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय हैं। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के श्रेणी/वर्ग का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 में दर्शित हैं।



(अलरमेलमंगई डी.)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

जोन का विवरण

जोन "अ" -

- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- अटल नगर, जिला-रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखाने जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गयी है।

जोन "ब"-

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि.मी. तक का क्षेत्र।

जोन "स" -

- जोन "अ" एवं "ब" में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।



(अलरमेलमंगई डी.)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“ख”
अनुसूचित नियोजन भाग-एक के 45 नियोजन

(दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक)

(दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक)

क	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई मत्ता		कुल वेतन रुपये में		जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई मत्ता		कुल वेतन रुपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	320.00	2628.00	101.08	10948.00	421	अ	8320.00	320.00	2856.00	109.85	11176.00	430
		ब	8060.00	310.00	2628.00	101.08	10688.00	411	ब	8060.00	310.00	2856.00	109.85	10916.00	420
		स	7800.00	300.00	2628.00	101.08	10428.00	401	स	7800.00	300.00	2856.00	109.85	10656.00	410
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	345.00	2628.00	101.08	11598.00	446	अ	8970.00	345.00	2856.00	109.85	11826.00	455
		ब	8710.00	335.00	2628.00	101.08	11338.00	436	ब	8710.00	335.00	2856.00	109.85	11566.00	445
		स	8450.00	325.00	2628.00	101.08	11078.00	426	स	8450.00	325.00	2856.00	109.85	11306.00	435
3	कुशल	अ	9750.00	375.00	2628.00	101.08	12378.00	476	अ	9750.00	375.00	2856.00	109.85	12606.00	485
		ब	9490.00	365.00	2628.00	101.08	12118.00	466	ब	9490.00	365.00	2856.00	109.85	12346.00	475
		स	9230.00	355.00	2628.00	101.08	11858.00	456	स	9230.00	355.00	2856.00	109.85	12086.00	465
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	405.00	2628.00	101.08	13158.00	506	अ	10530.00	405.00	2856.00	109.85	13386.00	515
		ब	10270.00	395.00	2628.00	101.08	12898.00	496	ब	10270.00	395.00	2856.00	109.85	13126.00	505
		स	10010.00	385.00	2628.00	101.08	12638.00	486	स	10010.00	385.00	2856.00	109.85	12866.00	495

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-“अ” तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।




(अलरमेलमंगई डी.)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“ग”

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता।
(दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक) (दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में		जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रुपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	277.33	2628.00	87.60	10948.00	364.93 (365)	अ	8320.00	277.33	2856.00	95.20	11176.00	372.53 (373)
		ब	8060.00	268.67	2628.00	87.60	10688.00	356.27 (356)	ब	8060.00	268.67	2856.00	95.20	10916.00	363.87 (364)
		स	7800.00	260.00	2628.00	87.60	10428.00	347.60 (348)	स	7800.00	260.00	2856.00	95.20	10656.00	355.20 (355)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	299.00	2628.00	87.60	11598.00	386.60 (387)	अ	8970.00	299.00	2856.00	95.20	11826.00	394.20 (394)
		ब	8710.00	290.33	2628.00	87.60	11338.00	377.93 (378)	ब	8710.00	290.33	2856.00	95.20	11566.00	385.53 (386)
		स	8450.00	281.67	2628.00	87.60	11078.00	369.27 (369)	स	8450.00	281.67	2856.00	95.20	11306.00	376.87 (377)
3	कुशल	अ	9750.00	325.00	2628.00	87.60	12378.00	412.60 (413)	अ	9750.00	325.00	2856.00	95.20	12606.00	420.20 (420)
		ब	9490.00	316.33	2628.00	87.60	12118.00	403.93 (404)	ब	9490.00	316.33	2856.00	95.20	12346.00	411.53 (412)
		स	9230.00	307.67	2628.00	87.60	11858.00	395.27 (395)	स	9230.00	307.67	2856.00	95.20	12086.00	402.87 (403)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	351.00	2628.00	87.60	13158.00	438.60 (439)	अ	10530.00	351.00	2856.00	95.20	13386.00	446.20 (446)
		ब	10270.00	342.33	2628.00	87.60	12898.00	429.93 (430)	ब	10270.00	342.33	2856.00	95.20	13126.00	437.53 (438)
		स	10010.00	333.67	2628.00	87.60	12638.00	421.27 (421)	स	10010.00	333.67	2856.00	95.20	12866.00	428.87 (429)

टीप : इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।


 (अलरमेलमगाई डी.)
 श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे 0 / श्र0आ0 / 2025 / 2841

नवा रायपुर, दिनांक 27.03.2025

// अधिसूचना //

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/3761/ 613 /16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं अलरमेलमंगई डी., श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, विगत जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करती हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जनवरी 2024	1852.15	जुलाई 2024	1902.93
फरवरी 2024	1856.15	अगस्त 2024	1902.93
मार्च 2024	1852.15	सितम्बर 2024	1912.19
अप्रैल 2024	1858.82	अक्टूबर 2024	1926.08
मई 2024	1865.48	नवम्बर 2024	1926.08
जून 2024	1885.48	दिसम्बर 2024	1916.82
कुल	$\frac{11170}{6} = 1862$	कुल	$\frac{11487}{6} = 1915$

अतः विगत छः माहों का औसत 1915 घोषित करती हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कार्ट ऑफ लिखिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदनुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महंगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक देय है।



(अलरमेलमंगई डी.)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2025/2841, दिनांक 27.03.2025 के अनुसार जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1915 रहा है। इस प्रकार अगरबत्ती उद्योग में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1285 (2001=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में 630 औसत बिन्दुओं (1915-1285= 630 प्वाइंट) की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये 7.88 रुपये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता एवं तदनुरूप अगरबत्ती उद्योग के अन्य वर्गों के लिए निर्धारित प्रति बिन्दु दर अनुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक देय है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2016 के अन्तर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। अतः अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को अनुसूची "ई" अनुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक देय है।



(अलरमेलमंगई डी.)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची - "ई"

क्र०	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ.	अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु० 26.96	पैसे (रु. 7.88) 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	34.84
	साधारण सुगंधित (सेंटेड)	रु० 27.66	पैसे (रु. 7.88) 5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	35.54
आ.	निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना।			
बिना सिलोफेन या जिलेटिन के				
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.05	पैसे (रु. 6.30) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	28.35
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे (रु. 6.30) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	29.06
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे (रु. 6.30) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	29.06
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 28.89	पैसे (रु. 7.88) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	36.77
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 38.79	पैसे (रु. 10.52) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	49.31
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 44.57	पैसे (रु. 12.60) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	57.17
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 45.87	पैसे (रु. 12.60) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	58.47
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 56.41	पैसे (रु. 15.75) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	72.16
सिलोफेन या जिलेटिन के				
1.	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे (रु. 6.30) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	29.06
2.	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 28.37	पैसे (रु. 7.88) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	36.25
3.	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 36.30	पैसे (रु. 10.52) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	46.82
4.	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 37.05	पैसे (रु. 10.52) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	47.57

-17-

क्र०	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महंगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
5.	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 39.15 पैसे	(रु. 10.52) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	49.67
6.	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 45.87 पैसे	(रु. 12.60) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	58.47
7.	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 54.99 पैसे	(रु. 15.75) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	70.74
8.	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 57.81 पैसे	(रु. 15.75) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	73.56

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 18.29 पैसे	(रु. 5.23) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	23.52
2.	12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 18.96 पैसे	(रु. 5.23) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	24.19
3.	23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 22.73 पैसे	(रु. 6.30) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	29.03
4.	50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 23.46 पैसे	(रु. 6.30) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	29.76
5.	100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 28.37 पैसे	(रु. 7.88) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	36.25
6.	200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 30.11 पैसे	(रु. 7.88) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	37.99

(ई) सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :-

1.	5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 4.22 पैसे	(रु. 1.26) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2500 (0.20 पैसा प्रतिबिन्दु)	5.48
2.	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 4.80 पैसे	(रु. 1.39) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2200 (0.22 पैसा प्रतिबिन्दु)	6.19
3.	पुंगली बनाने के कागज प्रति सैकड़ा	रु० 7.32 पैसे	(रु. 2.08) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 1500 (0.33 पैसा प्रतिबिन्दु)	9.40

अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, नृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।



(अलरमेलमंगई डी.)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वी0डी0ए0) जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 1285 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहाँ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहाँ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।



(अलरमेलमंगई डी.)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक/आठ/न्यूवे0/अ0आ0/2024/6213

नवा रायपुर, दिनांक 25.09.2024

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अलरमेलमंगई डी. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2023 से जून 2024 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100)
जुलाई 2023	9183.77
अगस्त 2023	9150.90
सितम्बर 2023	9039.06
अक्टूबर 2023	9098.18
नवम्बर 2023	9144.28
दिसम्बर 2023	9124.43
जनवरी 2024	9131.09
फरवरी 2024	9150.81
मार्च 2024	9131.09
अप्रैल 2024	9163.96
मई 2024	9196.83
जून 2024	9295.44
कुल	$\frac{109809.84}{12} = 9150.82$

उपरोक्तानुसार उपनोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत **9150.82** घोषित करता हूँ, जो कि किसी तंत्राखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवल एवरेज कास्ट लिविंग इन्डेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01.10.2024 से 30.09.2025 तक देय रहेगा।



(अलरमेलमंगई डी.)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/अ0आ0/2024/6213, दिनांक 25.09.2024 के अनुसार जुलाई 2023 से जून 2024 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 9150.82 रहा है। इस प्रकार किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6321 (1960=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि तक 2829.82 पाईट (9150.82-6321) औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान से 28.30 रुपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2024 से 30.09.2025 तक देय है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अंतर्गत किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध दिया गया है। अतः बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों को अनुसूची-‘फ’ अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2024 से 30.09.2025 तक देय है।



(अलरमेलमंहगाई डी.)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची "फ"

तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	परिवर्तनशील मंहगाई मत्ते की दरें	कुल वेतन
1	2	3	4	5
1.	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रु0 96.24	28.30	रु0 124.54 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 697.42 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 697.42 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।
2.	रेलाई श्रमिक			
अ	बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1	लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रु0 53.18 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 14.15 (एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	67.33
2	यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रु0 56.35 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 14.15 (एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	70.50
ब.	झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1.	झिल्ली लेबल लगाना	रु0 48.06 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 14.15 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार)	62.21
2.	झिल्ली लगाना	रु0 35.20 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 10.61 (1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार)	45.81
3.	लेबल लगाना	रु0 13.10 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 3.54 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार)	16.64
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु0 13.44 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 3.54 (1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार)	16.98
स.	एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो			
1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 198.88 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 56.60 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	255.48
2.	झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 56.60 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	272.62
3.	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 56.60 (2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर)	272.62

नोट :-

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छोटने तथा जाँच करने वाले, तंबाखू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, मट्टी वाला, रसोईया, ड्राइवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मचारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. उच्च कुशल - ड्राइवर (चालक) (भारी वाहन) एकाउंटेंट, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (कम्प्यूटर ऑपरेटर), मुनीम, कैशियर, हेड क्लर्क।
2. कुशल - स्टोर कीपर, ड्राइवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, गोडाउन कीपर, क्लर्क, बिलमेन।
3. अर्ध कुशल - बीड़ी छोटने या जाँच करने वाले, मट्टी वाला।
4. अकुशल - ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ीयों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, श्रमिक।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।



(अलरमेलमंगई डी.)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर


EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rolles (For Rolling of 1000 Beedies)

Effective from **01.10.2024 To 30.09.2025**

V.D.A. Revisable Annually with Effect from **01.10.2024**

No.	Perticular	Rs./P
1	Basic Wages	96.24
2	Variable Dearness Allowance	28.30
3	Leave With Salary (@ 5% of Total Wages)	6.23
4	Total Wages	130.77
5	Bonus (@8.33% of Total Wages	10.89
6	P.F. Contribution of Employer @ 10% of Total Wages	13.07
7	Total	154.73
8	Less P.F.Contribution of Employer (@10% of Total Wages)	13.07
9	Less P.F. Contribution of Employee (@10% of Total Wages)	13.07
10	Net Payable to Beedi Roller (7-(8+9)	128.59



(अलरमेलमंगई डी.)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।
2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 6321 (1960=100) पर आधारित है। 6321 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची-‘फ’ के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तम्भ 4 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी। 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी।
3. निर्धारित मासिक वेतन कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
4. जहाँ नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाखू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।
6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियों सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. आग, विपत्ति महामारी, असेैनिक क्षीम या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।



(अलरमेलमंगई डी.)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2025/2842

नवा रायपुर, दिनांक 27.03.2025

प्रतिलिपि :-

1. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए निवेदन है कि इस अधिसूचना को (छत्तीसगढ़) राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित कर 20 प्रति इस कार्यालय का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र0/303/आर/577/97/नि-514, दिनांक 30.06.1992 के संदर्भ में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना अधीक्षण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह, एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
10. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
11. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवार्थ, रायपुर ।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
14. सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग, मंत्रालय मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

16. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
17. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन, आयाकट विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
18. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
19. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन व प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
20. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
21. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
22. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा यिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
23. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
24. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
25. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
26. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
27. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
28. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
29. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जन शिकायत निवारण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
30. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
31. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
32. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
33. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
34. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

35. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
36. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
37. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
38. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
39. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
40. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
41. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
42. संचालक, पंचायत विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
43. संचालक, उद्यानिकी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
44. संचालक, संपदा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
45. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
46. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
47. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
48. नियंत्रक, नाप-तौल विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
49. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
50. विभागाध्यक्ष, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
51. आयुक्त, लोक शिक्षण एवं सर्वशिक्षा अभियान, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
52. संचालक, विमानन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
53. आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आदिम जाति विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
54. संचालक, ग्रामोद्योग, रेशम, हाथकरघा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
55. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
56. आयुक्त, पेंशन कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
57. संचालक, लोक अभियोजन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

58. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
59. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
60. आयुक्त, परिवहन विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
61. संचालक, कृषि विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
62. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
63. विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
64. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
65. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
66. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
67. संचालक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
68. पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
69. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
70. संचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
71. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
72. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
73. संचालक, मत्स्योद्योग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
74. मुख्य तकनीकी परीक्षक एवं सतर्कता, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
75. अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
76. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
77. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
78. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
79. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
80. आयुक्त, वाणिज्यिक विभाग, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर।
81. संचालक, सैनिक कल्याण, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
82. नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

83. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
84. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर ।
85. आयुक्त एवं अध्यक्ष हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर ।
86. महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय, जीरो प्वाइंट, विधानसभा के पास, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
87. संभाग आयुक्त, जिला-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा (राजस्व संभाग) ।
88. सचिव, राज्य महिला आयोग, गायत्री भवन-13, जलविहार कॉलोनी, रायपुर, जिला-रायपुर ।
89. सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर, जिला-रायपुर ।
90. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, साक्षरता चौक, सिविल लाईन, रायपुर ।
91. सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, जल विहार कॉलोनी, तेलीबांधा, रायपुर ।
92. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. हास्पिटल के पास, रायपुर ।
93. सचिव, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, रायगढ़ बाड़ा, सिविल लाईन, रायपुर ।
94. सचिव, राज्य युवा आयोग, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर, रायपुर ।
95. सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
96. सचिव, राज्य विद्युत नियामक आयोग, गौरव पथ, इन्द्रावती कॉलोनी, रायपुर ।
97. संचालक प्रशासन अकादमी, धमतरी रोड, ग्राम-निमोरा, रायपुर, जिला-रायपुर ।
98. सचिव, राजस्व मण्डल, नेहरू नगर, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर ।
99. संचालक उद्योग, उद्योग भवन, रिंग रोड नं., तेलीबांधा, रायपुर ।
100. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास संग्रहालय, राजभवन के पास, रायपुर ।
101. पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, जी0ई0रायपुर ।
102. संचालक, राज्य फॉरेंसिक लैब, पुलिस लाईन रायपुर, जिला- रायपुर ।
103. आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण, रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर, रायपुर छत्तीसगढ़ ।
104. आयुक्त, विमागीय जांच, पुराना मंत्रालय, के पास, रायपुर, जिला-रायपुर ।
105. संचालक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अनुपम गार्डन, आयुर्वेदिक कालेज के पास, रायपुर ।
106. संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
107. संचालक, राज्य कृषक प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
108. परिप्रशासक, कार्यालय मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर ।
109. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, डी.के.एस. हास्पिटल के पास, रायपुर छत्तीसगढ़ ।
110. संचालक, आयुष, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
111. संचालक, जनगणना निदेशालय रायपुर ।

112. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पंडरी रोड, देवेन्द्र नगर, रायपुर।
113. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
114. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
115. उप संचालक, राजभाषा, रायपुर छत्तीसगढ़।
116. आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी, कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
117. मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।
118. संचालक, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, व्ही. आई. पी. रोड, रायपुर छत्तीसगढ़।
119. प्रभारी अधीक्षक, स्टेट गैरेज, काली माता मंदिर चौक, सिविल लाईन रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
120. पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
121. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर क्रमांक-1 एवं 2, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अम्बिकापुर, जगदलपुर, धमतरी, जांजगीर-चांपा।
122. कुल सचिव, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
123. कुल सचिव, पं० रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
124. कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
125. कुल सचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
126. कुल सचिव, पं० सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
127. कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
128. कुल सचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़।
129. कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़।
130. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
131. कुल सचिव, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
132. कुल सचिव, हिदायतउल्ला नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
133. सचिव, उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
134. सचिव, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
135. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
136. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
137. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनोपधि बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
138. प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
139. प्रबंधक संचालक, राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
140. पंजीयक, राज्य सहकारी विपणन बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
141. प्रबंधक संचालक, राज्य वन विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।

142. प्रबंधक संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
143. प्रबंधक संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर, (छ0ग0)।
144. कार्यपालन अधिकारी, राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
145. सचिव, मदरसा बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
146. कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमेटी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
147. प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, द्वितीय तल, उद्योग भवन, तैलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
148. प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
149. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
150. प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, छत्तीसगढ़।
151. प्रबंध संचालक, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
152. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
153. प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी., नगर घड़ी चौक, रायपुर।
154. प्रबंध संचालक, कार्यालय छ0ग0 स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन, पंडरी रायपुर।
155. कार्यपालिक निदेशक छ0ग0 राज्य बायोपयूल विकास प्राधिकरण, रायपुर।
156. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, रायपुर।
157. प्रबंध संचालक, छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर।
158. प्रबंध संचालक आयुक्त छ0ग0 इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
159. सचिव, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम्, रोहणीपुरम्, रिग रोड, डीडी नगर, रायपुर।
160. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अवंति विहार, रायपुर।
161. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, समता कॉलोनी, रायपुर।
162. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
163. इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, जीवन प्रकाश, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर।
164. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर।
165. समस्त अपर श्रमायुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर।
166. सहायक श्रमायुक्त— रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़।
167. श्रम पदाधिकारी—राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, जांजगीर—चांपा, महासमुंद, अम्बिकापुर, कवर्धा, बालोद, बलीदाबाजार, कोण्डागांव, गरियाबंद, कांकेर, मुंगेली, दंतेवाड़ा, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।

168. प्रमारी अधिकारी, समस्त शाखाएँ, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला-रायपुर।
169. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा एवं इण्डस्ट्रीयल हाईजिन लैब रायपुर, बलीदाबाजार, जांजगीर-चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
170. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।
171. केन्द्र अभियंता, दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।



(अलरमेलमंगई डी.)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)

E-Mail ID- cgic2012@gmail.com, ☎ No.-0771-2443514, Fax No.-0771-2443516

क्रमांक/आठ/न्यूवे0/श्र.आ./2025/2843

अटल नगर, दिनांक 27.03.2025

प्रति,

.....
.....
.....
.....

विषय :- दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2025 से न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित की गई हैं, जिसकी पुस्तिका संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें श्रम विभाग की वेबसाइट www.shramevjayate.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।



सहायक श्रमायुक्त
कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़

શ્રમ આયુક્તની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય
બ્લોક નં. ૧૧,૧૨ અને ૧૪, બીજો માળ
ઉદ્યોગ ભવન - સેક્ટર ૧૧
ગાંધીનગર

Website :- col.gujarat.gov.in

ક્રમાંક:શ્ર.આ.૬/ટે.૩/

/૨૦૨૫

તા: ૨૬ / ૦૩ / ૨૦૨૫

પ્રતિ,

- (૧) અધિક શ્રમ આયુક્તશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.
(૨) નાયબ શ્રમ આયુક્તશ્રી અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ (તાબાની કચેરીઓને પરિપત્રિત કરવા સારું)
(૩) કચેરીની સર્વે શાખાઓ, ૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨,ખાસ સેલ, બી.ઓ.સી.ડબલ્યુ અને આઈ.ટી.સેલ.
(૪) શાખાની સિલેક્ટ ફાઈલ/ પરિપત્ર ફાઈલ

શ્રમ આયુક્ત,

ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત.

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળ સરકારશ્રીએ જે તે વ્યવસાય માટે નિયત કરેલ મૂળ પગારના દર ઉપરાંત જીવન નિર્વાહ આંક ઉપર આધારિત આપવાના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર હવે તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૫ થી તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૫ સુધીના સમયગાળા માટે નીચે મુજબ રહેશે.

ક્રમ	અનુસૂચિત વ્યવસાય/વ્યવસાય	ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર (રૂ. પૈસા)
૧	૪૬ અનુસૂચિત વ્યવસાય, શીપ બ્રેકીંગ તથા સ્વીપીંગ અને દલીનીંગ કામના વ્યવસાય	રૂ. ૪૫.૫૦/-
૨	છ અનુસૂચિત વ્યવસાય (૧. ઈંટ ઉત્પાદન, ૨. જરી ઉદ્યોગ, ૩. રેડી મેડ ગારમેન્ટ, ૪. મીઠા ઉદ્યોગ, ૫. તમાકુ અને બીડી બનાવવાનો ઉદ્યોગ તથા ૬. કૃષિ વ્યવસાય)	રૂ. ૧૩૧.૦૦/-

આમ, અનુ નં ૧ અને ૨ ની સામે દર્શાવેલ વ્યવસાયોમાં ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમિયાનના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર જાહેર કરવામાં આવે છે.

નાયબ શ્રમ આયુક્ત
અને લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮
અન્વયેના સક્ષમ અધિકારી, ગાંધીનગર

and the Competent Authority under the Minimum Wages Act, 1948. *Gandhinagar*

Office of Labour Commissioner
2nd Floor, Blcok No. 11, 12, 14
Udhyog Bhavan, Sector-11,
Gandhinagar

Date 29/03/2025

Ref No. L.C-6/T-3/239 to 259/2025 Date: 29.03.2025

To,
The Dy. Labour Commissioner (Ahmedabad, Vadodara, Surat and Rajkot)
The Assistant Labour Commissioner (All)
The Govt. Labour Officer (All)

Labour Commissioner, Gujarat State, Gandhinagar
Special allowances announcement under Minimum Wages Act, 1948

On the basis of cost of living index the Government of Gujarat has decided to revise the special allowance for scheduled employment Under Minimum Wages Act 1948, for the period 01.04.2025 to 30.09.2025 as under

Sr No.	Scheduled Employment/Profession	Special Allowances Daily Rate (Rs.)
1	Ship Breaking and Sweeper, Cleaning services	Rs. 45.50
2	Except column 1 and 2 intense stick (Agarbati) manufacturing for all other employments.	Rs. 131.00

For the employment & profession mentioned in Sr. No. 1 & 2 there is an Increase of Rs.10.50 in daily special allowance.

Sd/-
Deputy Labour Commissioner &
Competent Authority under Minimum wages Act 1948,
Gandhinagar

File No.1/6(1)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/03/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 186(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance for the employees employed in **Agriculture** w.e.f. **01.04.2025** on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2025:-

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	'A'	'B'	'C'
Unskilled	181	167	165
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	198	181	168
Skilled/Clerical	215	198	181
Highly Skilled	237	221	198

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2025 to the employees working in Agriculture shall be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	333+181=514	303+167=470	300+165=465
Semi- Skilled/Unskilled Supervisory	364+198=562	335+181=516	307+168=475
Skilled/Clerical	395+215=610	364+198=562	334+181=515
Highly Skilled	438+237=675	407+221=628	364+198=562

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(K. Shekar)
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/6(2)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/03/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2413(E) dated **28th July, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2025:-

Rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in employments in **Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines.**

Category of worker	Rates of V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	191	237
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	237	282
Skilled/ Clerical	282	328
Highly Skilled	328	366

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance Payable w.e.f. 01.04.2025 will be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	350+191=541	437+237=674
Semi-Skilled/ Unskilled Supervisory	437+237=674	523+282=805
Skilled/ Clerical	523+282=805	610+328=938
Highly Skilled	610+328=938	683+366=1048

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(K. Shekar)
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/6(3)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/03/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 188(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2025:-

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR RUNWAYS OR IN BUILDING OPERATIONS INCLUDING LAYING DOWN UNDERGROUND ELECTRIC, WIRELESS, RADIO, TELEVISION, TELEPHONE, TELEGRAPH AND OVERSEAS COMMUNICATION CABLES AND SIMILAR OTHER UNDERGROUND CABLING WORK, ELECTRIC LINES, WATER SUPPLY LINES AND SEWERAGE PIPE LINES.**

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	282	237	191
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	314	266	222
Skilled/Clerical	344	314	266
Highly Skilled	372	344	314

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.c.f. 01.04.2025 will be as under :-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. per day (in Rupees)		
	A Area	B Area	C Area
Unskilled	523+282=805	437+237=674	350+191=541
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	579+314=893	494+266=760	410+222=632
Skilled/ Clerical	637+344=981	579+314=893	494+266=760
Highly Skilled	693+372=1065	637+344=981	579+314=893

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(K. Shekar)
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/6(4)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/03/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 192(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2025:-

Rates of VDA for employees employed in loading and unloading in **(i) Goods sheds, Parcel Offices of Railways, (ii) Other Goods-Sheds, Go-downs, Warehouses and other similar employments ; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers and Goods and Cargo Carried out at Airports (both international and domestic).**

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2025 to the employees shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (IN RS.)
'A'	282
'B'	237
'C'	191

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2025 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D. A. PER DAY				
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)		Total (Rs.)
'A'	523	+	282	=	805
'B'	437	+	237	=	674
'C'	350	+	191	=	541

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(K. Shekar)
Chief Labour Commissioner(C)

No.1/6(5)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/03/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 190(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2025:-

RATES OF V.D.A.FOR EMPLOYEES EMPLOYED IN "Employment of Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993".

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	282
B	237
C	191

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.04.2025 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A (Rs.)	Total (Rs.)
A	523	+	282	= 805
B	437	+	237	= 674
C	350	+	191	= 541

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(K. Shekar)
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/6(6)/2025-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/03/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 191(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2025:-

I. RATES OF VDA for employees employed in **WATCH & WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	344
B	314
C	266

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.04.2025 to employees employed in **WATCH AND WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY		
	Basic Wages (Rs.)	V.D.A. (Rs.)	Total (Rs.)
A	637	+	344 = 981
B	579	+	314 = 893
C	494	+	266 = 760

II. RATES OF VDA for employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF VDA PER DAY (in Rs.)
A	372
B	344
C	314

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2025 to employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS VDA PER DAY		
	Basic Wages (Rs.)	VDA. (Rs.)	Total (Rs.)
A	693	+	372 = 1065
B	637	+	344 = 981
C	579	+	314 = 893

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board,

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.


(K. Shckar)
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/6/(7)2025 LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 28/03/2025

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 189(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 413.42 from 402.09 as on 31.12.2024 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 11.33 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.4.2025:-

Rates of VDA for employees employed in "**STONE MINES**" shall be as under:-

Item of work	Rates of Variable Dearness Allowance as on 01.04.2025
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	
(i) Soft Soil	Rs.194
(ii) Soft Soil with rock	Rs.287
(ii) Rock	Rs.380
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 metres lead/ 1.5 Metres lift. *	Rs.155
3. Stone breaking or Stone Crushing for the Stone size of:-	
1.0 inch to 1.5 inches	Rs.1152
Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs.985
Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs.581
Above 5.0 inches	Rs.479

Therefore, the minimum piece rate wages showing the basic and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2025 to the employees employed in Stone Mines shall be as under:-

Category	Basic Wages	VDA	Total
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters Lead/1.5 Meters lift. *			
(i) Soft Soil	Rs.351 +	Rs.194 =	Rs. 545
(ii) Soft Soil with rock	Rs.531 +	Rs.287 =	Rs. 818
(iii) Rock	Rs.703 +	Rs.380 =	Rs.1083
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	Rs. 283 +	Rs.155 =	Rs.438
3. Stone Breaking or Stone Crushing for stone size of category **			
	Basic Wages	VDA	Total
(i) 1.0 inch to 1.5 inches	Rs.2171 +	Rs.1152 =	Rs.3323
(ii) Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs.1857 +	Rs.985 =	Rs.2842
(iii) Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs.1088 +	Rs.581 =	Rs.1669
(iv) Above 5.0 inches	Rs.893 +	Rs.479 =	Rs.1372

The workers employed on minimum guaranteed time rate of wages per day shall be entitled to time rate of minimum wages plus special allowance, if any, for unskilled category of above ground workers revised from time to time by the Central Government in respect of scheduled employment in stone mines.

* Per 2.831 cube meters (100 cubic feet)

** Per truck load of 5.662 cubic meters (200 cubic feet)


(K. Shekar)
Chief Labour Commissioner(C)

Z3/ 5025 /2025

Office of the Commissioner of Labour,

Chennai-06, Dated: 03.03.2025

STATEMENT SHOWING DETAILS OF DEARNESS ALLOWANCE PAYABLE WITH EFFECT FROM 01/04/2025
BASED ON THE AVERAGE CONSUMER PRICE INDEX OF CHENNAI CITY FOR THE CALENDAR YEAR 2024
IN RESPECT OF VARIOUS SCHEDULED EMPLOYMENTS NOTIFIED UNDER THE MINIMUM WAGES ACT 1948,

AVERAGE POINTS FOR CHENNAI CITY FOR THE CALENDAR YEAR 2024:

BASE YEAR 2001=100 : 343 Points
BASE YEAR 1982=100 : 1698 Points
BASE YEAR 1960=100 : 8575 Points

Sl. No	Name of the scheduled employment	Labour & Employment Department G O No & Date	G O Effective from (Date)	Base Index	Rate of dearness allowance	Amount of dearness allowance payable
01	EMPLOYMENT IN AERATED WATER MANUFACTORY	(2D) No.75, dated 10/09/2024	02/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 38.45 per point per month	₹ 6,998.00 p/m
02	EMPLOYMENT IN AGARBATHY MANUFACTORY	(2D) No.91, dated 31/10/2022	23/11/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 35.43 per point per month	₹ 6,448.00 p/m
03	EMPLOYMENT IN APPALAM MANUFACTORY	(2D) No.51, dated 10/06/2022.	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 44.65 per point per month	₹ 8,126.00 p/m
04	EMPLOYMENT IN AUTOMOBILE WORKSHOP	(2D) No.98, dated 09/10/2024	06/11/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 56.29 per point per month	₹ 10,245.00 p/m
05	EMPLOYMENT IN AUTO RICKSHAW & TAXIS	(2D) No.114 dated 13/12/2022	04/01/2023	161 / 2010 (2001=100)	₹ 71.40 per point per month	₹ 12,995.00 p/m
06	EMPLOYMENT IN BAKERIES AND BISCUITS MANUFACTORY	(2D) No.35, dated 03/06/2022	29/06/2022	161/2010 (2001=100)	₹ 1.40 per point per day	₹ 254.80 p/d
07	EMPLOYMENT IN BLEACHING OR DYEING OR BOTH	(2D) No. 90, dated 31/10/2022	23/11/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 39.65 per point per month	₹ 7,216.00 p/m
08	EMPLOYMENT IN BRICKS AND TILES MANUFACTORY	(2D) No.50, dated 10/ 06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.30 per point per day	₹ 236.60 p/d

09	EMPLOYMENT IN CARPENTRY & BLACKSMITHY	(2D) No. 24, dated 07/ 06/ 2021	07/07/ 2021	161 / 2010 (2001=100)	₹ 58.65 per point per month	₹ 10,674.00 p/m
10	EMPLOYMENT IN CHEMICAL FERTILIZER INDUSTRY	(2D) No.43 dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 43.40 per point per month	₹ 7,899.00 p/m
11	EMPLOYMENT IN CHEMICAL INDUSTRY	(2D) No.87 dated 21/11/2019	11/12/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 50.00 per point per month	₹ 9,100.00 p/m
12	EMPLOYMENT IN CINEMA INDUSTRY	(2D) No.97, dated 07/11/2022	30/11/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 61.65 per point per month	₹ 11,220.00 p/m
13	EMPLOYMENT IN COACHING ACADEMICS	(2D) No.87 dated 01/10/2024	30/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 40.50 per point per month	₹ 7,371.00 p/m
14	EMPLOYMENT IN COCONUT PEELING	(2D) No. 45 dated 10/ 06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.45 per point per day	₹ 263.90 p/d
15	EMPLOYMENT IN COFFEE CURING WORKS	(2D) No.41, dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.30 per point per day	₹ 236.60 p/d
16	EMPLOYMENT IN COIR MANUFACTORY	(2D) No .35, dated 23/07/2021	18/08/2021	161 / 2010 (2001=100)	₹ 36.85 per point per month	₹ 6,707.00 p/m
17	EMPLOYMENT IN CONSTRUCTION, MAINTENANCE OF ROADS OR IN BUILDING OPERATIONS	(2D) No.94 dated 07/11/2022	07/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.69 per point per day	₹ 489.60 p/d
18	EMPLOYMENT IN CONSTRUCTION OF PANDALS,	(2D) No.31 dated 30/05/2022	22/06/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.25 per point per day	₹ 227.50 p/d
19	EMPLOYMENT IN COOKING FOOD	(2D) No.78 dated 19.09.2024	09/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 60.95 per point per month	₹ 11,093.00 p/m
20	EMPLOYMENT IN COTTON GINNING, PRESSING AND EMPLOYMENT IN COTTON WASTE	(2D) No. 39, dated 10/ 06/ 2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 44.65 per point per month	₹ 8,126.00 p/m
21	EMPLOYMENT IN DISTILLERY INDUSTRY	(2D) No.42 dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 60.35 per point per month	₹ 10,984.00 p/m
22	EMPLOYMENT IN DISTRIBUTION OF LIQUID PETROLEUM GAS CYLINDERS	(2D) No. 88 dated 01/10/2024	30/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 39.60 per point per month	₹ 7,207.00 p/m
23	EMPLOYMENT IN DOMESTIC WORK	(2D) No.99 dated 08/11/2022	07/12/2022	248 / 2015 (2001=100)	₹ 32.25 per point per month	₹ 3,064.00 p/m
24	EMPLOYMENT IN ELECTRONIC INDUSTRY	(2D) No. 44, dated 10/ 06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 43.50 per point per month	₹ 7,917.00 p/m

25	EMPLOYMENT IN FOLDING TEXTILES	(2D) No.33 dated 22/07/2021	18/08/2021	161 / 2010 (2001=100)	₹ 37.70 per point per month	₹ 6,861.00 p/m
26	EMPLOYMENT IN FOOD PROCESSING INDUSTRY	(2D) No.73, dated 10/09/2024	02/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 44.65 per point per month	₹ 8,126.00 p/m
27	EMPLOYMENT IN FORESTRY	(2D) No.92 dated 31/10/2022	25/11/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.92 per point per day	₹ 349.45 p/d
28	EMPLOYMENT IN GENERAL ENGINEERING AND FABRICATION INDUSTRY	(2D) No. 67, dated 13/11/2017	03/ 01/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 42.35 per point per month	₹ 7,708.00 p/m
29	EMPLOYMENT IN GOLD AND SILVER ARTICLES MANUFACTORY	(2D) No.100 dated 08/11/2022	21/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.36 per point per day	₹ 429.50 p/d
30	EMPLOYMENT IN GRANITE INDUSTRY	(2D) No.103, dated 09/11/2022	07/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 62.40 per point per month	₹ 11,357.00 p/m
31	EMPLOYMENT IN GUNNY INDUSTRY	(2D) No. 22, dated 07/06/2021	07/07/2021	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.07 per point per day	₹ 376.75 p/d
32	EMPLOYMENT IN HAND EMBROIDERY AND JARI	(2D) No.99 dated 09/10/2024	06/11/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.27 per point per day	₹ 413.15 p/d
33	EMPLOYMENT IN HANDLOOM SILK WEAVING , INDUSTRY	(2D) No. 106, dated 16/12/2024	29/01/2025	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.44 paise per point per day	₹ 262.10 p/d
34	EMPLOYMENT IN HOME TEXTILES (i.e.) BEDROOM, BATHROOM, LIVING ROOM, DECORATIVE, KITCHEN TEXTILES	(2D) No. 46, dated 23/11/2021	08/12/2021	255 / 2016 (2001=100)	₹ 22.25 per point per month	₹ 1,958.00 p/m
35	EMPLOYMENT IN HOSIERY MANUFACTORY	(2D) No 05 Dated 27/01/2016	17/02/2016	475 /2000 1982=100	₹ 3.80 per point per month	₹ 4,647.00 p/m
36	EMPLOYMENT IN HOSPITALS AND NURSING HOMES	(2D)No. 24, dated 02/03/2018	02/03/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 53.90 per point per month	₹ 9,810.00 p/m
37	EMPLOYMENT IN HOTELS AND RESTAURANTS	(2D) No. 35, dated 08/07/2014	13/08/2014	161 / 2010 (2001=100)	₹ 46.26 per point per month	₹ 8,419.00 p/m
38	EMPLOYMENT IN KNITTING INDUSTRY	(2D) No. 06 dated 27/01/2016	17/02/2016	475 /2000 1982=100	₹ 3.80 per point per month	₹ 4,647.00 p/m
39	EMPLOYMENT IN LAUNDRIES AND WASHING CLOTHES (INCLUDING WOOLLEN)	(2D) No.105 dated 09/11/2022	07/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.55 per point per day	₹ 464.10 p/d

40	EMPLOYMENT IN LOADING & UNLOADING OPERATIONS IN MARKETS, SHADIES (Fairs and Market Places and other like places)	(2D) No 85, dated 01/10/2024	30/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.50 per point per day	₹ 273.00 p/d
41	EMPLOYMENT IN LOCAL AUTHORITY	* (2D) No 62 dated 11/10/2017	22/11/2017	161 / 2010 (2001=100)	₹ 37.25 per point per month	₹ 6,780.00 p/m
42	EMPLOYMENT IN MAT WEAVING AND BASKET MAKING	(2D) No 80 dated 19/09/2024	23/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.46 per point per day	₹ 265.70 p/d
43	EMPLOYMENT IN (a) FIRE WORKS MANUFACTORY (b) MATCH MANUFACTORY	(2D) No. 46, dated 10/07/2023	26/07/2023	161/2010 (2001=100)	₹ 33.90 per point per month	₹ 6,170.00 p/m
44	EMPLOYMENT IN MEDICAL AND SALES REPRESENTATIVE	(2D) No. 11 dated 15/02/2016	09/03/2016	161 / 2010 (2001=100)	₹ 43.55 per point per month	₹ 7,926.00 p/m
45	EMPLOYMENT IN MEDICINE MANUFACTURING INDUSTRY	(2D) No.38 dated 05/10/2016	23/11/2016	161/2010 (2001=100)	₹ 43.85 per point per month	₹ 7,981.00 p/m
46	EMPLOYMENT IN MOTION PICTURE INDUSTRY (Including Production, Distribution and Publicity)	(2D) No.79 dated 19/09/2024	23/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 52.40 per point per month	₹ 9,537.00 p/m
47	EMPLOYMENT IN MUSHROOM GROWING AND ALLIED WORKS	(2D) No.49, dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 40.80 per point per month	₹ 7,426.00 p/m
48	EMPLOYMENT IN NEERA TAPPING	(2D) No.74, dated 10/09/2024	02/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 3.04 per point per day	₹ 553.30 p/d
49	EMPLOYMENT IN ANY OIL MILL	(2D) No.76, dated 10/09/2024	02/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 44.40 per point per month	₹ 8,081.00 p/m
50	EMPLOYMENT IN PAPER AND INCIDENTAL PROCESSES CONNECTED WITH:-					
	(a) HAND MADE PAPER INDUSTRY	(2D) No. 20, dated 07/06/2021	07/07/2021	161 / 2010 (2001=100)	₹ 34.70 per point per month	₹ 6,315.00 p/m
	(b) MACHINE MADE PAPER INDUSTRY	(2D) No. 77, dated 19/09/2024	23/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 44.95 per point per month	₹ 8,181.00 p/m
51	EMPLOYMENT IN POLYTHENE MANUFACTORY AND PROCESSING FOAM ITEMS AND PLASTIC MANUFACTORY	(2D) No 40 dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 45.00 per point per month	₹ 8,190.00 p/m

52	EMPLOYMENT IN POTTERY WORKS	(2D) No. 34, dated 22/07/2021	18/08/2021	161 / 2010 (2001=100)	₹ 40.00 per point per month	₹ 7,280.00 p/m
53	EMPLOYMENT IN POWER LOOM INDUSTRY	(2D) No.113 dated 13/12/2022	04/01/2023	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.05 per point per day	₹ 373.10 p/d
54	EMPLOYMENT IN PRINTING PRESSES	(2D) No.48 dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 34.75 per point per month	₹ 6,325.00 p/m
55	EMPLOYMENT IN PUBLIC MOTOR TRANSPORT	(2D) No.01 dated 02/01/2023	25/01/2023	161 / 2010 (2001=100)	₹ 65.65 per point per month	₹ 11,948.00 p/m
56	EMPLOYMENT IN RICE MILLS, FLOUR MILLS AND DHALL MILLS	(2D) No. 46, dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.60 per point per day	₹ 291.20 p/d
57	EMPLOYMENT IN SAGO INDUSTRY	(2D) No.101 dated 09/11/2022	14/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 49.20 per point per month	₹ 8,954.00 p/m
58	EMPLOYMENT IN SALT PANS	(2D) No.116 dated 12/12/2018	09/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.40 per point per day	₹ 254.80 p/d
59	EMPLOYMENT IN SEA FOOD PROCESSING INDUSTRY	(2D) No.93 dated 01/11/2022	23/11/2012	161 / 2010 (2001=100)	₹ 38.19 per point per month	₹ 6,951.00 p/m
60	EMPLOYMENT IN SECURITY GUARDS	(2D) No. 81, dated 19/09/2024	23/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 56.00 per point per month	₹ 10,192.00 p/m
61	EMPLOYMENT IN SERICULTURE	(2D) No.95 dated 07/11/2022	14/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.88 per point per day	₹ 342.20 p/d
62	EMPLOYMENT IN SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS	(2D) No.65, dated 20/08/2024	11/09/2024	161/2010 (2001=100)	₹ 40.18 per point per month	₹ 7,313.00 p/m
63	EMPLOYMENT IN SILK TWISTING INDUSTRY	(2D) No.96 dated 07/11/2022	14/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.86 per point per day	₹ 338.55 p/d
64	EMPLOYMENT IN SOAP MANUFACTORY	(2D) No.104 dated 09/11/2022	07/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 65.65 per point per month	₹ 11,948.00 p/m
65	EMPLOYMENT IN SYNTHETIC GEM CUTTING INDUSTRY	(2D) No.101 dated 18/10/2024	06/11/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.30 per point per day	₹ 236.60 p/d
66	EMPLOYMENT IN TAILORING INDUSRTY	(2D) No. 29, dated 31/05/2024	31/05/2024	218 / 2013 (2001=100)	₹ 33.94 per point per month	₹ 4,243.00 p/m
67	APPRENTICES IN THE EMPLOYMENT IN TEXTILE MILLS	(2D) No.43 dated 19/04/2018	16/05/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.60 per point per day	₹ 291.20 p/d

68	EMPLOYMENT IN TIMBER INDUSTRY	(2D) No.100 dated 10/10/2024	06/11/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.43 per point per day	₹ 442.30 p/d
69	EMPLOYMENT IN TIN CONTAINER MANUFACTORY	(2D) No. 86 Dated 01/10/2024	30/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 46.39 per point per month	₹ 8,443.00 p/m
70	EMPLOYMENT IN TOBACCO MANUFACTORY:-					
	(a) (BEEDI ROLLING) MANUFACTORY IN THE EMPLOYMENT IN ANY TOBACCO (INCLUDING BEEDI MAKING MANUFACTORY)	(2D) No.36, dated 02/06/2017	23/08/2017 (effective from 15/08/2015)	3384/2008 (1960=100)	₹ 3 paise per point per 1000 beedies	₹ 155.73 1000 beedies
	(b) TOBACCO MANUFACTORY (INCLUDING BEEDI MAKING OTHER THAN BEEDI ROLLING)	(2D) No.60, dated 08/07/2022	03/08/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 42.90 per pointper month	₹ 7,808.00 p/m
	(c) SCENTED AND CHEWING TOBACCO *	(2D) No. 09, dated 21/02/2013	20/03/2013	475 / 2000 (1982 = 100)	₹ 16 paise per point per day	₹ 195.70 p/d
		* Ban of Manufacture, Storage, Transport, Distribution or Sale of Chewable Food products, Gutkha, Panmasala, Containing Tobacco and Nicotine ingredients in the state of Tamil Nadu for a period of one year from 23.05.2024 under Food Safety and Drug Administration order has been published in the Tamil Nadu Government Gazette Extra ordinary No. 167, dated 23.05.2024				
	(d) SNUFF INDUSTRY	(2D) No. 97, dated 09/10/2024	06/11/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.40 per point per day	₹ 254.80 p/d
71	EMPLOYMENT IN VESSEL (UTENSILS) MANUFACTORY	(2D) No. 47, dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.30 per point per day	₹ 236.60 p/d
72	EMPLOYMENT IN WOOLLEN CARPET AND SHAWL WEAVING INDUSTRY	(D) No. 344, dated 10/04/1992	20/05/1992	808 / 1988 (1960=100)	₹ 2 paise per point per day	₹ 155.34 p/d

Note: D.A. shall be revised as and when the Government notifies the revision of minimum wages.

*Tanneries & Leather AICP = 176

[Signature]
31/3/2025
for COMMISSIONER OF LABOUR

[Signature]
3.3.25

Points for calculating dearness allowance for different base periods (For guidance only)

Calendar year	2024						
Base year in respect of a particular scheduled industry	2001=100				1982=100	1960=100	
Average point for calendar year 2024	343				1698	8575	
Base year for VDA regarding different scheduled industries	161/2010	218/2013	248/2015	255/2016	475/2000	3384/2008	808/1988
Increase in points for calculating VDA for different Scheduled Industries	182	125	95	88	1223	5191	7767

Details of W.P cases for the Employment under any Local Authority

- The Government of Tamil Nadu had revised the minimum wages for the employment in Local Authority vide GO(2D)No.36, Labour Welfare and Skill Development (J1) Department, dated.16.06.2023 published in the Tamil Nadu Government Gazette on 05/07/23.

The Tirupur Mavatta Ooraga Valarchi Ullatchithurai Oozhiyar Sangam had filed a Writ Petition in WP.No.25345 of 2023 before the Hon'ble High Court, Madras challenging the G.O.(2D).No.36, Labour Welfare and Skill Development (J1) Department, dated.16.06.2023 and the Hon'ble High Court in WMP.No.24753 and 24755 of 2023 vide order dated.28/08/23 granted interim stay of the operation of the order in GO(2D)No.36, Labour Welfare and Skill Development (J1) Department, dated.16/06/23.

Further, in a subsequent development, another Writ Petition in WP.No.26344 of 2023 had been filed by Uzhaippor Urimai Iyakkam. The Hon'ble High Court of Madras and in its order dated. 11.09.2023 has given the following direction:-

"In view of the above submissions, this Court, directs the respondents to pay the minimum wages to the National Urban Livelihood Mission (in short 'NULM') temporary sanitary workers in terms of GO.(2D).No.62, Labour and Employment (J1) Department, dated.11.10.2017, until further orders".

As on date , the aforesaid Writ Petitions are pending and the interim stay / interim direction granted in the Miscellaneous petition continue to be in force.

In view of the pendency of the aforesaid Writ Petitions in which certain interim directions have been passed, DA calculation relating to both the

notifications viz., Notification No.G.O.(2D).No.62, Labour and Employment (J1) Department, dated.11.10.2017 (previous notification) as well as the latest notification GO(2D).No.36, Labour Welfare and Skill Development (J1) Department, dated.16/06/23 are furnished.

PRESS NOTE


The Commissioner of Labour, Telangana, Hyderabad & the Competent Authority under the Minimum Wages Act, 1948, has declared the average State Industrial Workers Consumer Price Index Numbers for the half year ending December, 2024 as follows:-

Part-I (Industrial Workers) : Increase of 51 points from 1888 to 1939

Part-II(Agricultural Workers): Increase of 33 points from 1459 to 1492

These are applicable for the period from 01.04.2025 to 30.09.2025 in various Scheduled Employments notified under the Minimum Wages Act, 1948, in the State of Telangana for the purpose of calculation of Variable Dearness Allowance.

Sd/- Dr. E Gangadhar
Additional Commissioner of Labour


Deputy Commissioner of Labour

SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS							
Notification issued vide G.O.Ms.No.116, LET&F (Lab.II) Dept., dt:07-12-2007							
Published in Gazette No.795 , dated 19-12-2007							
Wages Linked at 525 CPI points							
CPI points notified as on 01.10.2024 = 1888 points							
VDA to be paid from 01.10.2024 to 31.03.2025 = 1888 - 525 = 1363 points							
Per point rate of VDA notified in the notification = Rs.6.40							
Minimum Wages and VDA payable from 01.10.2024 to 31.03.2025							
SLNo	Name of the Category	Basic Wage		VDA for 1363 points		Total Wage	
1	2	3		4		5	
		Zone-I	Zone-II	Zone-I	Zone-II	Zone-I	Zone-II
A	SHOPS						
1	Manager/ Sales Manager/ Security Officer/ Computer Programmer	5557	5357	8723	8723	14280	14080
2	Asst.Manager/ Accountant Supervisor/ Purchaser	4722	4302	8723	8723	13445	13025
3	Salesman/Sales Representative/ Bill Writer/ Cashier/ Tradesman	4520	4302	8723	8723	13243	13025
4	Clerk/ Godown Incharge/ Accounts Assistant/ Typist/ Receptionist/ Lineman/ Stenographer/Clerk-cum-Typist/ Xerox Machine Operator/ Clerks in STD, ISD, FAX/ Asst.Salesman	4102	3886	8723	8723	12825	12609
5	Kolagari/ Weighman/ Milk Vender in Milk Booths	3886	3757	8723	8723	12609	12480
6	Bicycle Fitter/ Attender/ Peon/ Water Boy/ Shop Boy/ Helper/ Messenger/ Gas Cylinder Carrier	3700	3370	8723	8723	12423	12093
7	Computer Operator	3886	3757	8723	8723	12609	12480
8	Security Guard	3700	3370	8723	8723	12423	12093
9	Type Writing Instructor	4520	4302	8723	8723	13243	13025
B	COMMERCIAL ESTABLISHMENTS						
1	Manager/ Field Officer/ Development Officer/ Security Officer/ Office Incharge/ Computer Programmer	5557	5138	8723	8723	14280	13861
2	Accountant/ Asst.Manager/ Sales Executive/ Supervisor/ Purchaser/ Store Keeper/ Agent/ Sales Promotion Employees	4722	4520	8723	8723	13445	13243
3	Salesman/ Stenographer/ Receptionist/ Auction Bider/ Tradesman/ Type Writer Instructor	4520	4302	8723	8723	13243	13025
4	Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown Incharge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst.Accountant/ Xerox Machine Operator	4102	3886	8723	8723	12825	12609
5	Weighman/ Kolari	3886	3757	8723	8723	12609	12480
6	Peon/Attender/ Watchman/ Water Boy/ Helper/ Messenger/ Security Guard	3700	3370	8723	8723	12423	12093
7	Computer Operator	3886	3757	8723	8723	12609	12480
C	HAIR CUTTING / HAIR DRESSING SALOON/ BEAUTY PARLOURS						
1	Manager/Shop Incharge	4722	4520	8723	8723	13445	13243
2	Hair Dresser/ Hair Cutter/ Beautician	4520	4302	8723	8723	13243	13025
3	Helper	3700	3370	8723	8723	12423	12093
D	TAILORING ESTABLISHMENTS						
1	Cutter Master	4722	4302	8723	8723	13445	13025
2	Asst.Cutter/ Tailor/ Sticher	4520	4302	8723	8723	13243	13025
3	Helper/ Pressman	3757	3370	8723	8723	12480	12093
E	LAUNDRIES/ DRY CLEANERS						
1	Manager/ Shop Incharge	4722	4520	8723	8723	13445	13243
2	Clerk/ Bill Writer	4102	3886	8723	8723	12825	12609
3	Washerman (Laundry)	4520	4302	8723	8723	13243	13025
4	Helper/ Pressman	3700	3370	8723	8723	12423	12093
F	OTHERS						
1	Pharmacist/ Air Conditioner/ Plant Operator	4722	4520	8723	8723	13445	13243
2	Goldsmith	4520	4302	8723	8723	13243	13025
3	Photo Frame Worker	3757	3370	8723	8723	12480	12093
4	A/c.Plant Operator	4102	4062	8723	8723	12825	12785



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
(अथ एपीएफ संगठन भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लॉट ए, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-ई, ईस्ट किडवाई नगर नई दिल्ली-110023

Plot A, Ground Floor, Block E, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.org



No: WSU/MemberProfile/E-710137/2024-25/19

Date: 27/Mar/2025

To

All Addl. CPFC (Zones),
All RPFCs/OICs (Field Offices),

Subject: Allowing Employer to view only the Member's present Employment Details - reg.

With a view to protect the Provident Fund members from any potential misuse of their past employment details, it has been decided that henceforth only present employment details will be allowed to be viewed by the current Employers.

However, to continue the contribution to the Employees' Pension Scheme (EPS), 1995 for eligible members who declare their past EPS membership in Form 11, the status of such EPS membership shall still be allowed to be viewed by the present Employer at the time of on-boarding an employee.

This will ensure the seamless continuation of the EPS membership to all the eligible members even on change of employment.

(This issues with the approval of CPFC)

Yours sincerely,

G. R. Suchindranath
Addl. CPFC (WSU)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032025-261970
CG-DL-E-26032025-261970

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1366]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/चैत्र 5, 1947

No. 1366]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/CHAITRA 5, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

का.आ. 1384(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2025 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध उत्तर प्रदेश राज्य के अम्बेडकर नगर औरैया, बहराइच, गोंडा, हमीरपुर जालौन, कन्नौज, महाराजगंज, महोबा, पीलीभीत, सिद्धार्थ नगर शामली, प्रतापगढ़, कासगंज और श्रावस्ती जिलों के सभी क्षेत्रों में, प्रवृत्त होंगे, अर्थात्—

- धारा 38 से धारा 43;
- धारा 45क से धारा 45ज;
- धारा 46 से धारा 73;
- धारा 74 से धारा 75;
- धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4); और
- धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013/03/2024-एसएस-1]

रूपेश कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2025

S.O. 1384(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2025, as the date on which the following provisions of the said Act, shall come into force in all areas of the district of Ambedkar Nagar, Auraiya, Bahraich, Gonda, Hamirpur, Jalaun, Kannauj, Maharajganj, Mahoba, Pilibhit, Siddharthnagar, Shamli, Pratapgarh, Kasganj and Shravasti in the State of Uttar Pradesh, namely:—

- (i) sections 38 to 43;
- (ii) sections 45A to 45H;
- (iii) sections 46 to 73;
- (iv) sections 74 and 75;
- (v) sub-section (2) to (4) of section 76; and
- (vi) sections 82 and 83.

[F. No. S-38013/03/2024-SS-I]

RUPESH KUMAR THAKUR, Jt. Secy.



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

No.N-15015/01/2023-P&D

Dated: 01.04.2025

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : एसिक 2.0/विज़न-2022 के अंतर्गत राज्य-वार अधिसूचित / गैर-अधिसूचित जिलों की अद्यतन सूची (दिनांक 01.04.2025 की स्थिती के अनुसार) / State wise updated list of notified/non-notified districts under ESIC 2.0/Vision-2022 (As on 01.04.2025)।

मुख्यालय की वेबसाईट लिंक सं. 16350/2024 दिनांक 21.03.2024 पर अपलोड किए गए पूर्व परिपत्र दिनांक 18.03.2024 के अनुक्रम में अधिसूचित जिलों की वर्तमान स्थिती निम्नानुसार है / In continuation to previous Circular of even no. dated 18.03.2024 uploaded on ESIC website www.esic.nic.in link no. 16350/2024 on 21.03.2024, the present status of notified districts of ESI Scheme is as under :-

क) राज्य-वार अधिसूचित जिलों की स्थिती (दिनांक 01.04.2025 तक) / State wise status of notified districts as on 01.04.2025 is as under:-

i	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां संपूर्ण क्षेत्र अधिसूचित है / No. of States/UT's whose entire area is notified	18
ii	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां आंशिक क्षेत्र अधिसूचित है / No. of States/UT's where the Scheme is partially notified	18

दिनांक 01.04.2025 की स्थिती के अनुसार अधिसूचित / गैर-अधिसूचित जिलों की जिलेवार अद्यतन सूची अनुलग्नक-ए पर संलग्न है। / The consolidated status of district wise notification in respect of above is enclosed as Annexure-A.

ख. अधिसूचित जिलों की सूची इस प्रकार है / The Summary of Notified Districts is as under :-

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Fully Notified Districts	584
आंशिक रूप से क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Partially Notified Districts	103
कुल अधिसूचित जिले / Total notified districts	687
गैर अधिसूचित जिले / Total Non-notified districts	91
कुल जिलों की संख्या / Total number of districts	778

संलग्नक - यथोपरि

Joint Director
Planning & Development Branch

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. प्रधान निजी सचिव (महानिदेशक/वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त) को सूचनार्थ ।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उप निदेशक (जन संपर्क शाखा) को मुख्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

ANNEXURE-A

State-wise list of 687 (Fully-584 & Partially-103) notified districts and 91 non-notified districts under ESI Scheme (As on 01.04.2025)

	States/UTs	Fully Notified Districts	Partially Notified Districts (Prominent Industrial Centers and Districts Hqrs Area)	Non-Notified Districts
1.	Andaman & Nicobar Island	NIL	South Andamans (1)	Nicobar, North & Middle Andaman (2)
2.	Andhra Pradesh	Entire Area of 26 districts are notified.		
3.	Arunachal Pradesh	Papum Pare (1)	NIL	Anjaw, Changlang, Dibang Valley, East Kameng, East Siang, Kamle, Kra Daadi, Kurung Kumey, Lohit, Longding, Lower Dibang Valley, Pakke Kessang, Lower Subansiri, Namsai, Siang, Tawang, Shiyomi, Tirap, Upper Siang, Upper Subansiri, West Kameng, West Siang, Lepa Rada, Lower Siang, Keyi Panyor and Bichom (26)
4.	Assam	Entire Area of 35 districts are notified.		
5.	Bihar	Begusarai, Bhagalpur, Bhojpur, Buxar, Darbhanga, Gaya, Katihar, Munger, Muzaffarpur, Patna, Rohtas, Samastipur, Saran, Sitamarhi, Vaishali, Nalanda, Arwal, Jamui, Kaimur, Khagaria, Kishanganj, Madhepura, Madhubani, Nawada, Purnia, Sheikhpura and West Champaran (27)	Araria, Aurangabad, Banka, East Champaran, Gopalganj, Jehanabad, Lakhisarai, Saharsa, Sheohar, Siwan, Supaul (11)	NIL
6.	Chandigarh	Entire Area of 01 district is notified.		
7.	Chhattisgarh	Baloda Bazar, Bilaspur, Dhamtari, Durg, Gariaband, janjgir-Champa, Korba, Raigarh, Raipur, Rajanandgaon, Gaurela-Pendra-Marwahi, Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai Mohla-Manpur-Chowki, Sarangarh-Bilaigarh, Sakti (15)	Balod, Balrampur, Bastar, Bemetara, Bijapur, Dantewada, Jashpur, Kabirdham, Kanker, Kondagaon, Koriya, Mahasamund, Mungeli, Narayanpur, Sukma, Surajpur, Surguja (17)	Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur (1)

8.	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	Entire Area of 03 districts are notified.		
9.	Delhi	Entire Area of 11 districts are notified.		
10.	Goa	Entire Area of 02 districts are notified.		
11.	Gujarat	Vadodara, Gandhinagar, Valsad (3)	Ahmedabad, Anand, Bharuch, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Kheda, Mehsana, Morbi, Navsari, Panchmahal, Porbandar, Rajkot, Sabarkantha, Surat, Surendranagar, (16)	Amreli, Aravalli, Banaskantha, Botad, Chhota Udaipur, Dahod Dang, Devbhoomi Dwarka, Gir Somnath, Kutch, Mahisagar, Narmada, Patan, Tapi, (14)
12.	Haryana	Entire Area of 22 districts are notified.		
13.	Himachal Pradesh	Entire Area of 12 districts are notified.		
14.	Jammu and Kashmir	Badgam, Jammu, Kathua, Pulwama, Reasi, Samba, Srinagar, Udhampur (8)	Anantnag, Bandipora, Baramulla, Doda, Ganderbal, Kishtwar, Kulgam, Kupwara, Poonch, Rajouri, Ramban, Shopian (12)	NIL
15.	Jharkhand	Bokaro, Deoghar, Dhanbad, East Singhbhum, Giridih, Koderma, Ramgarh, Ranchi, Seraikela Kharsawan (9)	Chatra, Dumka, Garhwa, Godda, Gumla, Hazaribag, Jamtara, Khunti, Latehar, Lohardaga, Pakur, Palamu, Sahibganj, Simdega, West Singhbhum (15)	NIL
16.	Karnataka	Entire Area of 31 districts are notified.		
17.	Kerala	Entire Area of 14 districts are notified.		
18.	Ladakh	NIL	Kargil, Leh (2)	NIL
19.	Lakshadweep	NIL	Kavaratti Districts (Minicoy, Agatti and Kavaratti) (1)	NIL
20.	Madhya pradesh	Bhind, Bhopal, Burhanpur, Dewas, Dhar, Gwalior, Hoshangabad, Indore, Jabalpur, Katni, Khandwa, Khargone, Mandsaur, Morena, Neemuch, Raisen, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Shahdol, Ujjain,	Agar Malwa, Alirajpur, Anuppur, Ashok Nagar, Balaghat, Barwani, Betul, Chhatarpur, Damoh, Datia, Harda, Jhabua, Mandla,	Niwari (1)

		Sehore, Guna, Shajapur, Chhindwara, Singrauli, Mauganj, Maihar and Pandhurna (30)	Narsinghpur, Panna, Rajgarh, Seoni, Sheopur, Shivpuri, Sidhi, Tikamgarh, Umaria, Vidisha, Dindori (24)	
21.	Maharashtra	Akola, Amravati, Aurangabad, Buldhana, Chandrapur, Dhule, Gondia, Jalgaon, Kolhapur, Nanded, Nagpur, Nashik, Palghar, Pune, Raigad, Sangli, Satara, Solapur, Thane, Wardha, Mumbai City, Mumbai suburban, Ahmednagar, Jalna, Yawatmal, Latur, Osmanabad, Parbhani, Sindhudurga, Beed, Bhandara, Gadchiroli, Ratnagiri, Washim (34)	NIL	Hingoli, Nandurbar (2)
22.	Manipur	Imphal East, Imphal West, Bishnupur, Senapati, Ukhrul, Kangpokpi, Churachandpur, Thoubal (8)	NIL	Tamenglong, Chandel, Kamjong, Pherzawal, Tengnaupal, Noney, Jiribam, Kakching (8)
23.	Meghalaya	East Khasi Hills (Shillong), Ri Bhoi (2)	NIL	East Garo Hills, East Jaintia Hills, North Garo Hills, South Garo Hills, South West Garo Hills, South West Khasi Hills, West Jaintia Hills, West Garo Hills, West Khasi Hills, Eastren West Khasi Hills (10)
24.	Mizoram	Aizawl (1)	NIL	Champhai, Kolasib, Lawngtlai, Lunglei, Mamit, Saiha, Serchhip, Hnahthial, Khawzawl, Saitual (10)
25.	Nagaland	NIL	Dimapur, Mokokchung, Kohima, Chumkedima (4)	Kiphire, Longleng, Mon, Peren, Phek, Tuensang, Wokha, Zunheboto, Noklak, Shamtor, Niuland, Tseminyu(12)
26.	Odisha	Angul, Bhadrak, Balangir, Bargarh (Baragarh), Balasore, Cuttack, Dhenkanal, Ganjam, Jharsuguda, Jajpur, Jagatsinghpur, Khordha, Kendujhar (Keonjhar), Koraput, Mayurbhanj, Puri, Rayagada, Sambalpur, Subarnapur, Sundargarh, Kalahandi, Debagarh, Gajapati, Malkangiri, Naupada,	NIL	Boudh (Bauda) (1)

		Kendrapara, Kandhamal, Nayagarh, Nabarangpur (29)		
27.	Puducherry	Entire Area of 04 districts are notified.		
28.	Punjab	Entire Area of 23 districts are notified.		
29.	Rajasthan	Entire Area of 41 districts are notified.		
30.	Sikkim	Gangtok, Namchi and Pakyong (3)	NIL	Mangan, Gyalshing and Soreng (3)
31.	Tamil Nadu	Entire Area of 38 districts are notified.		
32.	Telangana	Entire Area of 33 districts are notified.		
33.	Tripura	Entire Area of 08 districts are notified.		
34.	Uttar Pradesh	Agra, Aligarh, Allahabad, Amethi, Amroha, Barabanki, Bareilly, Bijnor, Bulandshahr, Chandauli, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Firozabad, Gautam Buddh Nagar, Ghaziabad, Ghazipur, Gorakhpur, Hapur, Hardoi, Hathras, Jhansi, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Lucknow, Mathura, Mau Nath Bhanjan, Meerut, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Raebareli, Rampur, Saharanpur, Sant Kabir Nagar, Sant Ravidas Nagar, Shahjahanpur, Sitapur, Sonbhadra, Unnao , Varanasi, Lalitpur, Kushinagar, Kaushambi, Badaun, Sultanpur, Deoria, Ballia, Jaunpur, Azamgarh, Baghpat, Chitrakoot, Sambhal and Ayodhya, Etah, Lakhimpur Kheri, Balrampur, Mainpuri, Basti, Ambedkar Nagar, Auraiya, Kannauj Kasganj, Bahraich, Maharajganj, Mahoba, Pilibhit, Pratapgarh, Shamli, Shravasti, Gonda, Siddharthnagar, Hamirpur, Jalaun (74)	NIL	Banda (1)
35.	Uttarakhand	Entire Area of 13 districts are notified		
36.	West Bengal	Entire Area of 23 districts are notified.		
	Total	Fully Notified Districts - 584	Partially Notified Districts - 103	Non-Notified Districts - 91



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लॉट ए, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक II, ईस्ट किनारा नगर, नई दिल्ली-110023

Plot A, Ground Floor, Block II, East Khandi Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.mca.in



No: WSU/IssuesofBKG/E-49885/2024-25//6

Date: 3 /April/2025

To,

All ACC (HQ)/ACC (Zones)
All RPFC-I/RPFC-II/APFC OICs

Subject: Removal of uploading of the image of cheque leaf/ attested bank passbook and Removal of the requirement of Employer approval for seeding bank account details with UAN -reg.


Madam/Sir,

In continuation of earlier efforts to facilitate the speedy settlement of claims filed online and to reduce the rejection of claims due to the reason of non-uploading of the image of cheque leaf/ attested bank passbook while filing claims online, it has been decided that the members shall not be required to upload the image of cheque leaf/ attested bank passbook at the time of filing a claim provided the bank account seeded with UAN is validated by concerned bank/NPCI, with effect from the date of this circular.

It has also been decided that there shall be no requirement of approval of Employer in the bank account seeding process henceforth. Further, all requests pending for bank KYC seeding at Employer level will be auto-approved following the verification process from the Bank/NPCI.

[This has the approval of CPFC]

Yours sincerely,


G. R. Suchindranath
ACC (WSU)

Copy to:

1. ACC-HQ (ISD)- For information and necessary actions.
2. ACC- HQ (C&PR)- To suitably disseminate the above decision through Social Media.



ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము
THE ANDHRA PRADESH GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY

W.No.12

AMARAVATI, TUESDAY, MARCH 25, 2025

G.920

**PART I - NOTIFICATIONS BY GOVERNMENT, HEADS OF DEPARTMENTS
AND OTHER OFFICERS**

--X--

NOTIFICATIONS BY GOVERNMENT

**LABOUR FACTORIES BOILERS & INSURANCE MEDICAL
SERVICES DEPARTMENT
(LABOUR.I)**

EXEMPTION FROM THE PROVISIONS OF SECTIONS 15 ,16, 21, 23, 31 AND IN RESPECT OF SECTION 47 (1) (2) (3) AND (4) OF THE ANDHRA PRADESH SHOPS AND ESTABLISHMENTS ACT, 1988 TO ALL INFORMATION TECHNOLOGY ENABLED SERVICES (ITES) AND INFORMATION TECHNOLOGY ESTABLISHMENT IN THE STATE OF ANDHRA PRADESH - FOR FURTHER PERIOD OF FIVE YEARS WITH EFFECT FROM THE DATE OF PUBLICATION OF NOTIFICATION.

**[G.O.Ms.No.7, Labour Factories Boilers & Insurance Medical Services (Labour.I),
25th March, 2025.]**

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 73 of the Andhra Pradesh Shops and Establishments Act, 1988 (Andhra Pradesh Act 20 of 1988), the Government of Andhra Pradesh hereby exempts from the provisions of Sections 15, 16, 21, 23, 31 and sub-sections (1) (2) (3) and (4) of Section 47 of the Andhra Pradesh Shops and Establishments Act, 1988 to all Information Technology Enabled Services (ITES) and Information Technology Establishments in the State of Andhra Pradesh that are defined in G.O.Ms.No.5, Information Technology and Communication Department dated; 28.01.2002, for a further period of five years with effect from date of publication of Notification, subject to the following conditions namely:-

- a. Weekly working hours for an employee shall be 48 hours. For the work done beyond 48 hours, employee is entitled for overtime wages.
- b. Every employee shall be given a weekly off.
- c. The management is permitted to engage women employees during the night shift subject to provision of adequate security during the course of employment and to and from transport from their respective residences.
- d. Every employee shall be provided with identity cards and all other welfare measures to which they are eligible as per the rules in force.
- e. Every employee shall be given a compensatory holiday in lieu of notified holidays, with wages under the provision to sub-section (2) of section 31 of the Andhra Pradesh Shops and Establishments Act 1988 if they work on notified holidays.
- f. The companies shall obtain bio-data of each driver and conduct pre-employment screening of the antecedents of all drivers employed on their own or through outsourcing. The details such as driving license, photographs, address, telephone No/Mobile No. etc. of drivers shall be available with the respective companies.
- g. The schedule and route of the pick up and drop shall be decided by the supervisory officer of the company on every Monday (if Monday is holiday the next working day in a week). In case of exigencies change of drivers/routes/shifts shall be allowed only with the prior knowledge of supervisory officers/employees.
- h. The telephone number particularly mobile phone numbers and addresses of the women employee shall not be disclosed to unauthorized persons.
- i. Careful selection of routes shall be made in such a way that no women employees shall be picked up first and dropped last.
- j. It is desirable that the company shall provide security guards for night shift vehicles.
- k. The designated supervisors of the company shall randomly check the vehicle on various routes.
- l. Company shall have a control room/ travel desk for gps based vehicle movement monitoring ; and to have the vehicles registered under the VAHAN app besides ensuring that women employees have downloaded the security mobile app of the Police department the list of hired vehicles be shared with police Department easy vehicle movement monitoring for the safety of women employees.
- m. The boarding and alighting points be covered by the CC TVs installed by Police department or by the establishment itself.
- n. The time after / before which security should be provided to women employees for cab drop offs / pic ups should be specified suggested as before 6 am and after 8 pm.

-
- o. General exemption from maintenance of various statutory registers in hard copies and recognition of soft copy of Registers as sufficient compliance.
 - p. The returns of employees shall be made online as directed by the LFB Department on the EODB / Industries department websites.
 - q. The exemption granted in these orders may be revoked at any time for contravention of these conditions or any other reason without assigning any prior notice.

M.V. SESHAGIRI BABU,
Secretary to Government (FAC).

---x---